



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, कानपुर**

**बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई कानपुर में सर्वर रूम में प्रिसिजन एसी इकाइयों की
आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए ई-निविदा**

भाग I

निविदाकर्ता का नाम_____

पता _____

बोली पूर्व बैठक (ऑफलाइन) की तिथि 24 August 2026 11:00 बजे

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 25 August 2026 (09:00 AM onwards) से
05 September 2026 (up to 02:00 PM) तक

निविदा के भाग I के खुलने की अंतिम तिथि: 07 September 2026 से 11:00 AM तक

स्थान: दूसरी मंजिल, संपदा विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक,
द माल
कानपुर-208001

यह दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक की संपत्ति है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम पर कॉपी, वितरित, रिकॉर्ड या अभिलेखबद्ध नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि किसी भी उद्देश्य के लिए अधिकृत कर्मियों/एजेंसियों द्वारा भी यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा सख्त वर्जित है और यह कॉपीराइट उल्लंघन के बराबर होगा और इस प्रकार भारतीय कानून के अनुसार यह दंडनीय होगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर ने इच्छुक पार्टियों को कार्य की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार में से कोई वारंटी देते हैं या इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई सूचना व्यक्त/आशय या प्रकट करते हैं।

इस संबंध में जानकारी संपूर्ण होने का आशय नहीं है। इच्छुक पार्टियों को पूछताछ स्वयं करनी होगी। इस निविदा के उत्तरदाताओं को अपनी पूछताछ स्वयं के द्वारा करनी होगी और उन्हें केवल खाली निविदा दस्तावेजों/प्रपत्रों में निहित जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि प्रतिवादियों द्वारा कोई उचित प्रयास नहीं किया जाता है तो इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक जिम्मेदार नहीं है।

यह सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास कार्य के साथ आगे न बढ़ने या कार्य के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्य पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

निविदा की अनुसूची

i)	ई-निविदा संख्या	2026_RBI_286161
ii)	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली निविदा, केवल सीपीपीपी के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इस https://etenders.gov.in/eprocure/app वेबसाइट के माध्यम से सीपीपीपी के साथ पंजीकरण करना होगा।
iii)	निविदा मूल्य	काम की अनुमानित लागत- ₹24,40,000.00 (सभी शामिल)
iv)	एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	31 July, 2026 अपराह्न 05:00 PM से
v)	बयाना जमा राशि	प्रत्येक बोलीदाता से 48,800/- रुपये बैंक के खाते संख्या 186003001 आईएफएससी RBIS0KNPA01, (कृपया शून्य के रूप में 0 पढ़ें) में जमा किए जाएंगे। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले एनआईटी के माध्यम से और इसके प्रेषण का प्रमाण estatekanpur@rbi.org.in को भेजा जाएगा।
vi)	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	24 August, 2026 को पूर्वाह्न 11 AM बजे भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर में संपदा विभाग में।
vii)	ऑनलाइन https://etenders.gov.in/eprocure/app पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	25 August, 2026 अपराह्न 09:00 AM से
viii)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	05 September, 2026 अपराह्न 02:00 PM तक
ix)	निविदा भाग I के खुलने की तिथि और समय	07 September, 2026 को अपराह्न 11:00 AM

x)	भाग II के खुलने की तिथि (मूल्य बोली)	भाग II (मूल्य बोली) बाद की तारीख को खोला जाएगा, और इसे मूल्य बोली खोलने से पहले ईमेल के माध्यम से योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।
xi)	लेन-देन शुल्क/निविदा शुल्क	शून्य
xii)	बोली-वैधता	निविदा (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के भाग I के खुलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन), जिसकी अवधि आपसी समझौते द्वारा बढ़ाई जा सकती है, और बोलीदाता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं लेंगे।

ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपीपी ई-खरीद पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो कि निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाई जाएगी। **विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल प्रमाणपत्र और डिजिटल एन्क्रिप्शन प्रमाणपत्र होना चाहिए।** विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। ऐसी व्यवस्था करने के लिए सीपीपीपी/आरबीआई जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

- 1) विक्रेताओं को विवरण भरकर और स्वयं की उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाकर विक्रेता के रूप में खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है→ सबमिट करें।
<https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर
- 2) विक्रेताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम-जनरेटेड मेल प्राप्त होगा, जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।
- 3) अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड/विजुअल/रजिस्ट्रेशन गाइड पर जाएं। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया सीपीपीपी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।
<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

संपर्क व्यक्ति (सीपीपीपी):

किसी भी तकनीकी संबंधी प्रश्न के लिए कृपया 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

ईमेल समर्थन:

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित प्राधिकारी से संपर्क करें

तकनीकी - support-eproc@nic.in

पॉलिसी से संबंधित - cphp-doe@nic.in

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

(उपलब्धता: सभी कार्य दिवसों पर सुबह 09:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक)

1. श्रीमती मानसी जैन, सप्र (इलेक्ट्रिकल, संपदा विभाग)
(mansij@rbi.org.in)
2. श्री सागर सिंह जादौन, सप्र
(sagarsinghjadon@rbi.org.in)
3. श्री अविरल शुक्ला, (जेई (इलेक्ट्रिकल), संपदा विभाग)
(aviralshukla@rbi.org.in)

सम्पर्क करने का विवरण: 0512-2303830/31/32/34/35/36/37- इंटरकॉम 5009/5008
कार्यालय के कार्यदिवस के दौरान

B) ई-निविदा की प्रक्रिया:

1. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को <https://etenders.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन जमा करना होगा।
2. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
3. भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एनआईटी में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।
4. भाग-II मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) से इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

विशेष शर्तें:

- निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

- अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी सीपीपीपी पोर्टल <https://etenders.gov.in/eprocure/app> के साथ-साथ आरबीआई की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर भी अपडेट की जाएगी।
- एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

ई-टेंडर में बोली:

- a) **बयाना जमा राशि** भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी। एनईएफटी/आरटीजीएस लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए ईएमडी को पहले से ही भेज दें।

खाता नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक कानपुर

खाता प्रकार: चालू खाता

खाता संख्या: 186003001

आईएफएससी कोड: RBIS0KNPA01, (कृपया 0 को शून्य के रूप में पढ़ें)

टिप्पणी: आरबीआई कानपुर में प्रिंसीजन एसी का एसआईटीसी

लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा।

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण estatekanpur@rbi.org.in को भेजें।

ऐसी निविदा जिस पर ऐसे ईएमडी के साथ नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी की स्कैन की गई प्रति सीपीपीपी साइट पर अपलोड की जाएगी।

ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को नियत समय में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

- b) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- c) विक्रेता को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण, डीएससी सक्रियण के साथ-साथ सीपीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज गाइड पढ़ें। <https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>
- d) सभी मामलों में, विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- e) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

- f) ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
- g) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां विक्रेता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।
- h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- i) क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए के।
- j) **निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।** किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।
- k) इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
- l) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे पोर्टल में निर्दिष्ट प्रत्येक वस्तु के लिए जीएसटी सहित दर उद्धृत करें। उद्धृत दरों में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सूची

क्रम संख्या	विवरण	पेज नं.
1.	खंड-I ई-निविदा का प्रारूप	8
2.	खंड-II निविदाकर्ताओं का विवरण	11
3.	खंड- III अनुबंध की वाणिज्यिक और सामान्य शर्तें	15
4.	खंड-IV सुरक्षा कोड, अग्नि सुरक्षा	33
5.	खंड-V यहां पहले संदर्भित शर्तें	35
6.	खंड-VI वाणिज्यिक जांच सूची	51
7.	खंड-VII तकनीकी विनिर्देश/बैंक की अपेक्षाएँ	52
8.	धारा VIII- विचलन (यदि कोई हो)	58
9.	खंड IX तकनीकी मापदंडों का विवरण (निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)	59
10.	खंड X मात्रा का अमूल्य बिल	61
11.	अनुलग्नक ए- सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप	64
12.	अनुलग्नक बी- ठेकेदार के कार्य निष्पादन के लिए ग्राहक के प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप	67
13.	अनुलग्नक सी- अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा	70
14.	अनुलग्नक डी- करार की शर्तें	71
15.	अनुलग्नक ई - आवेदन/प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए प्रारूप	79
16.	अनुलग्नक एफ- सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचनपत्र निविदा में शामिल किया जाएगा	80
17.	अनुलग्नक जी- भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनपत्र / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप	81
18.	अनुलग्नक एच- आरबीआई को बिक्री के बाद निर्बाध रूप से सेवा दिए जाने को विस्तारित करने के लिए निर्माता के दायित्व के संबंध में प्राधिकार और पुष्टि पत्र	82
19.	अनुलग्नक आई- निविदाकर्ता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचनपत्र का प्रारूप	84

20.	अनुलग्नक जे- ठेका श्रम नियमों/विनियमों का अनुपालन न करने के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रारूप	85
21.	अनुलग्नक के - स्थानीय सामग्री के लिए घोषणा	86

खंड- I
निविदा प्रपत्र

स्थान _____

तारीख _____

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग,

कानपुर, उप्र-208001

महोदया/ महोदय

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, रेखाचित्रों या डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद यह निर्धारित किया गया है, और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा और जांच की गई है और अंत में निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद; हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की आपूर्ति और निष्पादन करने की पेशकश करते हैं, ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, मूल्य-बोली में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और निर्देशों के साथ लिखित रूप में निविदा की शर्तों में संदर्भित किया गया है, 'करार, विशेष शर्तें, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध की शर्तें और ऐसी सामग्री के साथ जो हमारे द्वारा प्रदान की जाती हैं, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, को पूरा करने पर सहमत हैं।

ज्ञापन

(a)	कार्यों का विवरण	:	ई-निविदा: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई कानपुर के सर्वर रूम में प्रेसिजन एसी इकाइयों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए ई-निविदा।
(b)	कार्य की अनुमानित लागत	:	₹24,40,000/- (सभी सहित)
(c)	बयाना धनराशि	:	₹48,800/- (सभी निविदाकर्ताओं द्वारा जमा किया जाना है)
(d)	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	:	प्रासंगिक निविदा खंड के अनुसार
(e)	बिलों से काटे जाने वाले प्रतिशत	:	प्रासंगिक निविदा खंड के अनुसार

(f)	कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय	:	कार्य सौंपने के पत्र की तारीख से 14वें दिन से 75 दिन
(g)	परिनिर्धारित हर्जाना		0.25% प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन

- हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी ई-निविदा, **ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी** और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।
- यदि इस ई-निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और इसके चूक के रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जम्मा करने और भुगतान करने के लिए हम सहमत हैं जो अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ ई-टेंडर में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
- मैं/हम समझते हैं कि आप इसके लिए कोई कारण बताए बिना किसी भी या सभी ई-निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं,
- हमने एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में **48,800/- की राशि जमा की है**, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना है। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहते हैं या वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद बोली वापस ले लेते हैं, तो हम एतद्वारा सहमत होते हैं कि यह राशि हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जम्मा कर ली जाएगी।
- ई-निविदा केवल सीपीपीपी पोर्टल पर दो भागों में जमा किया जाता है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

दिनांक ____ 2026

मैसर्स _____ के लिए और उसकी ओर से

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाह

(1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

(2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

खंड II

निविदाकर्ताओं का विवरण

ए. फर्म का विवरण:

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1.	क्या मूल उपकरण निर्माता/सिस्टम इंटीग्रेटर है	
	या अधिकृत डीलर (कृपया प्राधिकार प्रमाण पत्र जमा करें)	प्राधिकार प्रमाण पत्र के लिए हां/नहीं इंगित करें)
2.	फर्म की संरचना (क्या साझेदारी/स्वामित्व/सार्वजनिक लिमिटेड है)	
3.	फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम	
4.	जीएसटी नंबर	
5.	फर्म का पता	
	टेलीफोन	
	ईमेल	
	मोबाइल नंबर:	

B. बैंकों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	विवरण (क्रास किया रद्द चेक जमा करें)	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाना है
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	टेलीफोन और फैक्स नंबर	
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा	
6	वह अवधि जिससे फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है	

C. पूर्व-योग्यता मानदंड:

निम्नलिखित हमारे ग्राहक हैं जिनके लिए हमने पात्रता मानदंडों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान "पात्र" कार्य निष्पादित किए हैं (कृपया के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें)

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1	ग्राहक संगठन / फर्म का नाम:			
	पता:			

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
	संपर्क व्यक्ति का नाम:			
	उसका मोबाइल नंबर:			
	उसका फैक्स नंबर:			
	उसका टेलीफोन नंबर:			
	उसकी ई-मेल आईडी:			
2	संक्षिप्त विवरण के साथ "पात्र" कार्य का नाम			
3	कार्य आदेश सं. और तारीख			
4	कार्य आदेश/कार्यआदेश पत्र के अनुसार "पात्र" कार्य की लागत:			
5	प्रारंभ होने की तिथि			
6	पूरा होने की निर्धारित तिथि			
7	पूरा होने की वास्तविक तिथि			

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
8	देरी से पूरा होने के लिए ग्राहक द्वारा लगाए गए मुआवजे की राशि, यदि कोई हो:			
9	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य से संबंध में सकल मूल्य:			

D. कृपया पूर्वयोग्यता मानदंडों के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रदान करें:

1	वर्षों में कार्य अनुभव (कृपया इस निविदा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी भी राशि का पुराना कार्य आदेश प्रस्तुत करें)	
2	पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्षवार) और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें	
	(a) 2025-26	
	(b) 2024-25	
	(c) 2023-24	

E. यूपी/दिल्ली/दिल्ली एनसीआर डिवीजन में सेवा सेट अप विवरण-

मुहर/तिथि के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

खंड III

संविदा (अनुबंध) की वाणिज्यिक और सामान्य शर्तें

3.1 बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई कानपुर के सर्वर रूम में प्रेसिजन एसी इकाइयों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) के लिए ई-निविदा जिसके काम के लिए मूल उपकरण निर्माताओं या उनके अधिकृत डीलरों/सिस्टम इंटीग्रेटर्स से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

3.1.1 दिनांक___ की सुबह 11 बजे से सभी फर्मों को ऑनलाइन निविदाएं देखने/डाउनलोड करने की अनुमति दी जाएगी जो फर्में निम्नलिखित पूर्व-अर्हता मानदंडों का अनुपालन नहीं करती हैं और ईएमडी प्रस्तुत नहीं करती हैं, उनकी निविदा भाग-II खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.2 पात्रता मानदंड – पूर्व-अर्हता दस्तावेज

i) उपकरण का एक मूल उपकरण निर्माता (ओईएम)/अधिकृत डीलर/सिस्टम इंटीग्रेटर होना चाहिए।

और

ii) **कार्य अनुभव:** इच्छुक निविदाकर्ता को समान प्रकार का काम करने में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, जैसे कि बड़े कार्यालय भवनों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों / औद्योगिक घरानों / सरकारी संगठन / पीएसयू के लिए औद्योगिक प्रकार की एयर कंडीशनिंग इकाइयों / सिस्टम (प्रेसिजन / वीआरवी / चिलर) की आपूर्ति, स्थापना परीक्षण कमीशनिंग/ सिस्टम आदि। (30 जून को या उससे पहले पूरा किया गया उक्त कार्य का कोई एक कार्य आदेश, 2021)

और

iii) **योग्यता मानदंड:** इच्छुक निविदाकर्ता को इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव होना चाहिए। पिछले पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक प्रकार की एयर कंडीशनिंग इकाइयों/प्रणाली (परिशुद्धता/वीआरवी/चिलर) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग निम्नानुसार व्यक्तिगत लागत (30 जून, 2021 को या उसके बाद पूरे किए गए कार्य) निम्नानुसार है:

a) तीन कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है

या

b) दो कार्य अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होंगे

या

c) एक कार्य की लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं होगी

तथा

- iv) **कारोबार:** लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% का न्यूनतम वार्षिक कारोबार

तथा

- v) काम की अनुमानित लागत के बराबर मूल्य का सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र होना चाहिए

तथा

- vi) बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश / दिल्ली / दिल्ली एनसीआर डिवीजन में अपने सेवा केंद्र के माध्यम से सेवा सेटअप होना चाहिए

3.1.2 (बी) निविदाकर्ताओं को अपनी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए:

	केवल उन्हीं ठेकेदारों को पात्र माना जाएगा जो ई-निविदा के लिए आवेदन करते समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे/अपलोड करेंगे।	
i.	फर्म की संरचना	ठेकेदारों की फर्म की संरचना का पूरा विवरण (चाहे ठेकेदार एक व्यक्ति हो, या एक साझेदारी फर्म, या एक कंपनी आदि) को भागीदारों के नाम और पते (ओं) के साथ, संस्था के अंतर्नियम/ पावर ऑफ अटॉर्नी / किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
ii.	कार्य अनुभव और निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य के समान कार्यों को पूरा करना।	कार्यादेश की तारीख, दिए गए कार्य का मूल्य, कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि को दर्शाने वाले विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां और इसी तरह के कार्यों के पूरा होने की वास्तविक तिथि और वास्तविक मूल्य को दर्शाने वाले संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र कार्य अनुभव के प्रमाण में अपलोड किए जाने चाहिए। किसी भी केंद्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए कार्य करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।
iii.	निर्दिष्ट अवधि के दौरान ठेकेदार की साख और उनका टर्नओवर।	चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित ठेकेदार के व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों के साथ आयकर निकासी प्रमाण पत्र / आयकर निर्धारण आदेश की प्रतियां पिछले तीन वर्षों के लिए उनकी साख और कारोबार के प्रमाण के साथ अपलोड की जानी चाहिए।
iv.	सेवा सेट-अप	उत्तर प्रदेश/दिल्ली एनसीआर/दिल्ली/दिल्ली में पूर्ण सेवा सेटअप के समर्थन में निर्माताओं से प्रमाण पत्र/कोई अन्य वैध दस्तावेज अपलोड किया जाना चाहिए।

v.	बैंकरों और उनके वर्तमान संपर्क एक्जेक्यूटिव के नाम और पते	संपर्क अधिकारियों के नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) संख्या, फैक्स नंबर, आदि के साथ उनके बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) अपलोड किया जाना चाहिए।
vi.	बैंक खातों का विवरण	उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, खोले जाने की तिथि जाता है, आदि का विवरण दिया जाना चाहिए।
vii.	ग्राहकों और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारियों के नाम और पते	उनके ग्राहकों के नाम और पते के बारे में जानकारी के साथ-साथ पूर्ण विवरण, जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन (लैंडलाइन और मोबाइल) नंबर। संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के फैक्स नंबर, आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
viii.	पूर्ण किए गए कार्यों का विवरण	कार्य (कार्यों) के ग्राहक-वार नाम, कार्य (कार्यों) के निष्पादन का वर्ष (वर्ष), कार्य (कार्यों) की आवंटित और वास्तविक लागत (लागत), अनुबंध (अनुबंधों) में निर्धारित पूर्णता समय और कार्य (कार्यों) को पूरा करने में लगने वाला वास्तविक समय, अधिकारी (अधिकारियों)/विभागों के नाम और पूर्ण संपर्क-विवरण जिनके अधीन कार्य (कार्यों) को निष्पादित किया गया था, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
ix.	ग्राहक प्रमाण पत्र	निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने ग्राहकों से संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र अपलोड करें , जिनके लिए उन्होंने निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस में वर्णित पात्रता (पूर्व-योग्यता) मानदंडों के संदर्भ में "पात्र कार्य" किए हैं। ग्राहक प्रमाण पत्र आवेदक / भारतीय रिज़र्व बैंक के निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे सरकारी / अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में कार्यकारी अभियंता या समकक्ष रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों और केवल तभी जब वे उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए निविदा द्वारा प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित हों। निजी संगठन द्वारा जारी ग्राहक प्रमाण पत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण पत्र भी होगा। निर्दिष्ट प्रारूप में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त आवेदनों/निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बैंक को प्रस्तुत प्रमाणपत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा।

x.	शोधक्षमता प्रमाणपत्र	निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रारूप के अनुसार अपने बैंकर/बैंकरों से शोधक्षमता प्रमाणपत्र अपलोड करें। इस तरह के प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन/निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को संबोधित किया जाएगा और उनके आवेदन / निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
xi.	ओईएम/अधिकृत डीलर/सिस्टम इंटीग्रेटर	ओईएम द्वारा जारी प्राधिकार पत्र

- विधिवत भरा हुआ, मुहर लगाई गई और निविदा के भाग 1 पर हस्ताक्षर किए गए (सभी पृष्ठ) और शुद्धिपत्र यदि कोई हो (सभी पृष्ठ)

एक फर्म द्वारा प्रस्तुत एक निविदा जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती पाई जाती है, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नोट: निजी संगठनों द्वारा जारी ग्राहक का प्रमाण पत्र भी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्रों के साथ होगा। उपरोक्त प्रमाणपत्रों के बिना अपलोड किए गए आवेदन/निविदाएं अस्वीकार की जा सकती हैं।

3.1.3 ई-निविदा जमा करना:

ई-निविदा तैयार की जाएगी और दो भागों में ऑनलाइन जमा की जाएगी, अर्थात्, भाग I और भाग II सीपीपीपी पोर्टल पर क्रमशः "भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग II - मूल्य" कवर पर स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। टेलीग्राफिक, फैक्स और ई-मेल ई-टेंडर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्मिलन, पोस्ट-स्क्रिप्ट, परिवर्धन और परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि ई-निविदाकर्ताओं के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि न की जाए। ई-निविदाओं की सभी प्रतियां सभी अनुचक्रियों/संलग्नकों/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से भरी होनी चाहिए। ई-निविदाओं की सभी प्रतियां सभी अनुचक्रियों/संलग्नकों/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से भरी होनी चाहिए।

निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सीपीपीपी वेबसाइट पर ई-टेंडर जमा करें (www.CPPPe-commerce.com) यदि आवेदक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे इसे अपने स्वयं के लेटर हेड / पेपर पर सीपीपीपी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जमा किए जाएंगे।

3.1.4 इच्छुक निविदाकार एनईएफटी (खंड I देखें) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर को बयाना जमाराशि (ईएमडी) के रूप में भुगतान करेंगे।

ईएमडी (जैसा लागू हो) के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। बयाना राशि निविदाकर्ता को वापस कर दी जाएगी यदि उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, लेकिन बिना किसी ब्याज के सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि खंड 3.12 के अनुसार वापस कर दी जाएगी।

ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा यदि बोलीदाता:

निम्नलिखित स्थिति में ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा:

ए) यदि विक्रेता/ठेकेदार वाणिज्यिक बोली खोलने के बाद बोली वापस लेता है

बी) विक्रेता/ठेकेदार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे सौंपे गए कार्य को शुरू करने में विफल रहता है।

- 3.1 **प्री-बिड बैठक:** निविदा के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करने के लिए _____ को 11:00 बजे सम्पदा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर में एक प्री-निविदा ब्रीफिंग बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोलीदाता किसी भी बिंदु/शर्तों/विनिर्देशों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकर्ताओं को उपयुक्त सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर देंगे और इसलिए उन्हें अपनी तकनीकी (भाग I) और मूल्य बोलियों (भाग II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों के विचलन से बचना चाहिए।
- 3.2 ई-निविदा _____ को दोपहर 1:00 बजे तक जमा / अपलोड किया जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में -- ----- को दोपहर 1:00 बजे के बाद कोई निविदा प्राप्त / स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 3.3 बैंक से उसकी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को उसके चौदह दिनों के भीतर लागू करने के लिए बाध्य होगा और सफल निविदाकर्ता मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी चाहे इस तरह के औपचारिक करार को बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।

भाग I – तकनीकी और वाणिज्यिक

- 3.5.1 भाग I में बिना कीमत वाली ई-निविदा शामिल होगी जिसमें निर्दिष्ट कार्यों का दायरा और दस्तावेज और वाणिज्यिक नियम और शर्तें, निविदा के तकनीकी पहलू जैसे उपकरण डेटा शीट, परीक्षण और निरीक्षण, सामग्री के निर्माण, तकनीकी विवरण, चित्र आदि शामिल होंगे।
- 3.5.2 ईएमडी जमा रसीद के प्रमाण और ई-निविदा के पूर्व-योग्यता दस्तावेजों के साथ निविदा के भाग में सीपीपीपी पोर्टल में अपलोड किए जाने वाले निविदा दस्तावेजों में इस निविदा दस्तावेज में अन्यत्र उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे:
- a) ई-निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
 - b) वाणिज्यिक/तकनीकी विनिर्देश में विचलन की सूची, यदि कोई हो।
 - c) विस्तृत प्रस्तावित पूर्ण उपकरण विवरण, पेश किए गए उपकरणों के निर्माताओं के प्रासंगिक कैटलॉग/लीफलेट/ब्रोशर
 - d) ओईएम का एक पत्र, जिसमें बोलीदाता को ई-निविदा में भाग लेने के लिए अधिकृत किया गया है, साथ ही भारत में इसी तरह की परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी बिक्री के बाद सेवा के संबंध में ओईएम के साथ करार की एक प्रति (केवल तभी लागू होता है जब बोलीदाता एक अधिकृत डीलर या सिस्टम इंटीग्रेटर हो)

- e) पूर्ण तकनीकी विवरण और निगमन के लिए प्रस्तावित किसी भी विशेष सुविधाओं को पूर्ण तकनीकी मूल्यांकन के लिए दिया जाना चाहिए। तकनीकी बोली जमा करते समय दावा की गई सुविधाओं/विशेषताओं के लिए सहायक दस्तावेज भी संलग्न किए जाएंगे।
 - f) धारा IX के तहत दिए गए तकनीकी डेटा शीट को पूरी जानकारी देते हुए भरा जाएगा।
 - g) अनुलग्नक (ए-जे) के अनुसार अन्य प्रमाण पत्र / घोषणाएं प्रस्तुत करने के लिए संलग्न हैं।
 - h) ग्राहक की रिपोर्ट की विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित प्रतियां (संलग्न प्रारूप में ग्राहकों से, जिनके लिए समान कार्य निष्पादित किए जाते हैं) और अनुलग्नक में दिए गए नमूना प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण पत्र
- 3.5.3 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थापना स्थल पर जाएं और निविदा से पहले साइट की स्थितियों से खुद को परिचित करें।
- 3.5.4 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-निविदा दस्तावेजों में निहित अनुबंध की सामान्य शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर ई-निविदा जमा करें, न कि किसी भी विचलन को निर्धारित करें। यदि ई-निविदा दस्तावेजों में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति का कोई मूल्य निहितार्थ है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिए और उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। निबंधन और शर्तों से विचलन वाली कोई भी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।
- 3.5.4 ई-निविदाकार पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, उनके द्वारा धारित या डिजाइन या सिस्टम के किसी भी हिस्से के बारे में किसी तीसरे पक्ष के उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकारों, यदि लागू हो, का पूरा विवरण प्रस्तुत करेंगे।
- 3.5.5 सभी सूचनाएं, पत्राचार पत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कानपुर को संबोधित किए जाएंगे।

3.6 भाग II - कीमत

भाग II - "मूल्य बोली", ई-निविदा के साथ आपूर्ति की गई।

- 3.6.4 इस भाग में प्रारूप (भाग II) के अनुसार मूल्य के विवरण के साथ केवल भारतीय रुपये में कीमतें शामिल होंगी। भाग II में किसी अन्य बाड़े की अनुमति नहीं है। ई-निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा।
- 3.6.5 यदि कोई दस्तावेज गुम है या अहस्ताक्षरित है, तो बैंक द्वारा अपने विवेक से ई-निविदा को अमान्य माना जा सकता है।
- 3.6.6 ई-टेंडर भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तनों को निविदाकर्ता के आद्याक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों को ओवरराइट करने की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता बैंक के विकल्प पर ई-निविदा को शून्य कर देगी।
- 3.6.7 ई-निविदा के भाग II के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3.6.8 उद्धृत दरों को समाप्त कार्य के लिए माना जाएगा और जब तक सिस्टम बैंक को सौंप नहीं दिया जाता है, तब तक बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगी।

3.6.9 उद्धृत दरें निश्चित होंगी और श्रम, परिवहन में विनिमय भिन्नता में भिन्नता के अधीन नहीं होंगी। दरों को पूरे काम यानी आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और उपकरणों की कमीशनिंग के लिए उद्धृत किया जाएगा और इसमें सभी करों, शुल्कों, लेवी, उपभोज्य, श्रम, परिवहन, पारगमन के लिए बीमा, भंडारण के साथ-साथ श्रमिकों का मुआवजा और थर्ड पार्टी देयता नीतियों, निर्माण आदि के लिए शुल्क शामिल होंगे। बैंक द्वारा किसी भी शुल्क के लिए कोई रियायती फॉर्म जारी नहीं किया जाएगा। इसी तरह, बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

3.6.10 यदि आयात किए जाने की आवश्यकता हो तो उपकरणों को ठेकेदारों के स्वयं के आयात लाइसेंस के आधार पर आयात करने की व्यवस्था की जाएगी। सभी भुगतान कानपुर में किए जाएंगे और केवल भारतीय रुपये में होंगे।

3.6.11 निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मात्रा की अनुसूची के अनुसार सख्ती से कोटेशन दें। मात्राओं की अनुसूची संभावित मात्राओं पर आधारित है। ठेकेदार को ध्यान देना चाहिए कि जब तक अन्यथा न कहा गया हो, निविदा सख्ती से वस्तु दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए दरें सही, व्यावहारिक और स्वावलंबी होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में मात्रा लगभग काम की कुल सीमा को इंगित करती है, लेकिन किसी भी हद तक भिन्न हो सकती है और यहां तक कि साइट की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर केवल बैंक के विवेक पर छोड़ा जा सकता है, इस प्रकार अनुबंध के कुल मूल्य को बदल दिया जाता है। इस खाते पर किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.7 ई-टेंडर का खोला जाना

ई-निविदाओं का भाग I _____, 2026 को 1500 बजे ऑनलाइन खोला जाएगा। केवल उन्हीं ई-निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, बाद के कार्य दिवस पर खोली जाएंगी जिसके बारे में सभी पात्र निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।

3.8 कार्य का संक्षिप्त दायरा

3.9.1 कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे।

- साइट पर बीमा, पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग आदि सहित सभी उपकरणों, कैप्शन कार्य के लिए सामग्री की डिलीवरी।
- प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग और बायबैक के तहत पुरानी सटीक एसी यूनिट प्रणाली को तोड़ने और हटाने के बाद सिस्टम को बैंक को सौंपना, जैसा और जहां है, के आधार पर।
- सीएएमसी के तहत आवधिक सेवा आदि सहित प्रणाली का नियमित निरीक्षण और रखरखाव प्रदान करना।
- मलबे, रेत, बची हुई सामग्री, कवर पेपर को हटाना; प्लास्टिक आदि बोलीदाता के कार्य के दायरे का हिस्सा होंगे।
- बोलीदाता को काम पूरा होने के 3 दिनों के भीतर निर्माण स्थलों से स्क्रेप, मलबे, अपशिष्ट, उपकरण/बायबैक सामग्री को हटाना होगा या अन्यथा काम पूरा होने के बाद हटाना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार प्रति दिन 10,000/- रुपये या उससे

अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है और/या भविष्य के कार्यों या दोनों से पैनल से हटाना/काली सूची में डालना हो सकता है।

- कोई अन्य कार्य, संबंधित लेकिन ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुबंध के कार्य के दायरे में होगा।

3.9.3 निविदा जमा करते समय निविदाकर्ता को तकनीकी विवरण पूरा करना चाहिए

3.9.4 निविदाकर्ता विनिर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करेगा और खुद को संतुष्ट करेगा कि पेश किए गए उपकरण बैंक के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार उपयुक्त हैं।

3.9.5 निविदाकर्ता बैटरियों के संबंध में स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए आवश्यक सभी उपकरणों, संयंत्रों, मचान, श्रम और उपभोग्य सामग्रियों आदि की आपूर्ति करेगा।

3.9.6 यदि आवश्यक हो, तो बैंक की पूर्व अनुमति से समय पर पूरा करने के लिए कार्यों को विस्तारित घंटों में किया जा सकता है और इस संबंध में कोई अतिरिक्त दावा स्वीकार्य नहीं है।

3.10 ई-टेंडर की वैधता

कीमतों के साथ ई-निविदा, ई-निविदा के भाग 1 के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए शुरू में वैध रहेगी, जिस अवधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित रूप में आपसी समझौते द्वारा और बढ़ाया जा सकता है, इस अवधि के दौरान ई-निविदा को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा।

3.11 सबसे कम ई-टेंडर जरूरी नहीं कि स्वीकार किया जाए

3.11.1 बैंक निम्नतम या किसी ई-निविदा को स्वीकार करने या स्वीकृति न लेने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

3.11.2 निविदाकार ई-निविदाओं को प्रस्तुत करने के माध्यम से या उसके संबंध में किसी भी लागत, प्रभार, क्षति और उसके द्वारा किए गए किसी भी लागत, शुल्क, क्षति और व्यय का दावा करने के हकदार नहीं होंगे, भले ही बैंक ई-निविदा को संशोधित/वापस लेने का विकल्प चुन सकता है।

3.12 दोष देयता अवधि (डीएलपी) के दौरान बयाना धन, सुरक्षा जमा और प्रदर्शन बैंक गारंटी

3.12.1 बयाना धन-

सभी निविदाकार एनईएफटी के माध्यम से 48,800/- की **बयाना राशि (जैसा लागू हो) जमा करेंगे** और एनईएफटी (स्कैन कॉपी) का विवरण निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा या **ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के _____ से पहले estatekanpur@rbi.org.in** पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुबंध के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा के रूप में रखा जाएगा। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, बयाना धन जमा सावधि जमा रसीदों या बीमा गारंटी या चेक या नकद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। असफल निविदाकर्ता का ईएमडी निविदा की स्वीकृति पर जारी किया जाएगा। जिस ठेकेदार को कार्य सौंपा गया है, उसके लिए ईएमडी को खंड 3.12.3 में उल्लिखित पीबीजी जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।

3.12.2 बिल मूल्य के 5% की प्रतिधारण राशि संपर्ककर्ता के प्रत्येक आरए बिल से तब तक काटी जाएगी जब तक कि कुल वसूली सुरक्षा जमा के एक हिस्से के रूप में अनुबंध मूल्य का 5% नहीं हो जाती है जो दोष देयता अवधि के सफल समापन के बाद वापस कर दी जाएगी।

3.12.3 **कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी-** अनुबंध के प्रदान होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध मूल्य के 10% (दस

प्रतिशत) के बराबर राशि (इस दस्तावेज़ में उल्लिखित अनुबंध मूल्य का अर्थ है कार्य का कुल मूल्य, जिस पर कार्य प्रदान किया जाता है) किसी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के रूप में या ऑनलाइन माध्यम (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से पीबीजी के समतुल्य राशि प्रदान करेगा, जिसे अनुबंध की नियत पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के लिए कार्य प्रदान करने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त पीबीजी अनुबंध की पूरी अवधि (निष्पादन अवधि और आभासी पूर्णता की तारीख से 1 वर्ष का डीएलपी) के दौरान वैध रहेगा। पीबीजी या पीबीजी के बराबर राशि जमा करने में किसी भी देरी की स्थिति में, ठेकेदार के बिलों से बैंक दर पर जुर्माना काटा जाएगा। आरबीआई कानपुर के पास ठेकेदार द्वारा सेवाओं में किसी भी गलती/दंड/चूक की भरपाई के लिए पीबीजी को रखने का अधिकार है।

आरबीआई इस पूरी सुरक्षा जमा यानी परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और रिटेंशन मनी (पीबीजी + आरएम) को दोष दायित्व अवधि के एक वर्ष पूरा होने के बाद जारी करेगा। आरबीआई द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

यह पीबीजी (जैसा कि इस खंड में उल्लेख किया गया है) नीचे खंड 3.12.4 में उल्लिखित बैंक गारंटी जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।

आरबीआई इस संपूर्ण सुरक्षा जमा यानी कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी एंड प्रतिधारण राशि (पीबीजी + आरएम) को डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के एक वर्ष पूरे होने के बाद जारी करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूति जमा के रूप में रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

यह पीबीजी (जैसा कि इस खंड में उल्लिखित है) नीचे खंड 3.12.4 में उल्लिखित बैंक गारंटी जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।

3.12.4 सीएएमसी के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक गारंटी

ठेकेदार द्वारा कुल 9 वर्षों की एएमसी अवधि की शर्तों और दायित्वों की उचित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए (दोष दायित्व अवधि पूरी होने के बाद), ठेकेदार, दोष दायित्व अवधि की समाप्ति से पहले, **अनुबंध के अनुसार निष्पादित कार्य के मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए सुरक्षा जमा** के रूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा, जो दोष दायित्व अवधि की समाप्ति के दिन से एएमसी अवधि के पांच वर्षों तक वैध रहेगी। **पीबीजी (जैसा कि ऊपर खंड 3.12.3 में उल्लेख किया गया है) इस बैंक गारंटी के जमा होने के बाद ही जारी किया जाएगा।**

एएमसी के पूरा होने के 05 वर्ष की समाप्ति की पूर्व संध्या पर, ठेकेदार प्रारंभिक बैंक गारंटी (बीजी) की समाप्ति के दो सप्ताह से पहले मूल बीजी राशि का 50% राशि वाली एक नई बीजी प्रस्तुत करेगा और एएमसी अवधि के अगले 04 वर्षों के लिए वैध होगा।

पहले के कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) की समाप्ति से 02 सप्ताह पहले तक इस नवीनीकृत बैंक गारंटी (बीजी) की प्राप्ति न होने की स्थिति में, बैंक को बाद वाले (पीबीजी) को लागू करने का अधिकार होगा।

3.13 भुगतान की शर्तें

इस अनुबंध के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

1. सामग्री की सुपुर्दगी (बीओक्यू के अनुसार) के आधार पर यथानुपात आधार पर उद्धृत दर का 60% इसकी जांच करना और निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने पर

(a) सीरियल नंबर के साथ निर्माता का निरीक्षण और परीक्षण प्रमाण पत्र

- (b) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि रखरखाव सहित प्रणालियों की सफल स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के लिए सभी घटकों, पुर्जों, उप-प्रणालियों, उपभोग्य सामग्रियों आदि को अच्छी स्थिति में साइट पर प्राप्त किया गया है और यदि स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण के दौरान कोई कमी देखी जाती है तो उन्हें बैंक को मुफ्त में आपूर्ति की जाएगी।

(c) पैरा 3.15 में उल्लिखित सभी जोखिमों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियां

2. बैंक को सिस्टम के निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने के विरुद्ध उद्धृत दर का 35%।
3. राशि का 5% प्रतिधारण राशि/सुरक्षा जमाराशि के रूप में रखा जाएगा जो डीएलपी अवधि के दौरान सभी निरीक्षण/रखरखाव रिपोर्ट जमा करने के बाद ही डीएलपी के 01 वर्ष की समाप्ति के बाद जारी किया जाएगा।
4. यदि लागू हो तो भुगतान राज्य के कानून के अनुसार जीएसटी/आईटी/टीडीएस में कटौती करने के लिए उत्तरदायी है।

3.14 कर: उद्धृत कीमतों को जीएसटी शामिल माना जाएगा। यदि निविदाकर्ता ई-निविदा में ऐसे करें और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर कर काटा जाएगा और इसके लिए ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

3.15 बीमा

ठेकेदार, कार्य शुरू करने से पहले, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करने के लिए अपेक्षित बीमा प्रस्तुत करेगा और अनुबंध की पूरी राशि के लिए नियोक्ता और ठेकेदार (पूर्व का नाम यानी आरबीआई को पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) के संयुक्त नाम पर एक कार्यालय के साथ आग से नुकसान या क्षति के खिलाफ पुनर्कार्य के आभासी पूरा होने तक उनका बीमा करेगा। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार नियोक्ता के पास प्रीमियम के लिए पॉलिसी और रसीदों की प्रति जमा करेगा, अधिमानतः काम सौंपने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर या साइट पर सामग्री के प्रेषण से पहले, जो भी पहले हो।

ठेकेदार की चूक में, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, बीमा करते हुए, नियोक्ता कार्यों का बीमा कर सकता है और किसी भी देय धन, जुर्माना आदि से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है, या उस राशि से भी जो इस तरह के चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार के कारण हो सकता है।

अगर काम रोकना ज़रूरी हो जाता है, तो जैसे ही पॉलिसी के तहत दावे का निपटारा हो जाए या बीमा कार्यालय काम को फिर से शुरू करने का फैसला करे, ठेकेदार को पूरी सावधानी और लगन से काम पूरा करना होगा। यह काम वैसे ही किया जाएगा जैसे आग लगने की घटना हुई ही न हो और ठेकेदार की सभी

शर्तें वही रहेंगी। आग लगने के बाद दोबारा बनाने या काम को पहले जैसी स्थिति में लाने के मामले में, ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए उचित समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

ठेकेदार काम शुरू करने से पहले, सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए अपनी लागत पर, उपकरण/सामग्री के निर्माता के काम छोड़ने से लेकर बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नाम पर उक्त प्रणाली को बैंक को सौंपने तक सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करेगा और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

- ठेकेदार की सर्व जोखिम नीति।
- साइट पर काम करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति।
- और प्रति दुर्घटना 2.50 लाख रुपये की सीमा के साथ, कुल 10.00 लाख रुपए की तृतीय पार्टी देयता पॉलिसी।

3.16 पूरा होने की अवधि

ज्ञापन में उल्लिखित कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा और कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश जारी होने के 14वें दिन से इसकी गणना की जाएगी।

3.16.1 पूरा न होने के लिए नुकसान (परिसमापन क्षति)

अनुबंध की तय अवधि के दौरान काम पूरी लगन से किया जाना चाहिए। अगर ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे काम अधूरा रहने की अवधि के लिए अनुबंध की रकम का 0.25% प्रति सप्ताह के हिसाब से 'परिसमापन क्षति' देना होगा। यह हर्जाना अनुबंध की कुल रकम के अधिकतम 10% तक हो सकता है। नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी रकम से यह हर्जाना काट सकता है।

3.17. दोष देयता अवधि (डीएलपी)

आपूर्ति किए गए उपकरणों को आभासी समापन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के भीतर प्रणाली/उप-संयोजनों में पाए गए किसी भी दोष को बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के निविदाकर्ता द्वारा सुधार/प्रतिस्थापित किया जाएगा। दर में **सिस्टम के त्रैमासिक रखरखाव के** साथ-साथ बिना किसी अतिरिक्त लागत के किसी भी संख्या में ब्रेकडाउन कॉल में भाग लेना **शामिल होना चाहिए। इस वारंटी अवधि के दौरान किसी भी पुर्जों/उपभोग्य सामग्रियों की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।** बैंक गारंटी अवधि की मुद्रा के दौरान जनशक्ति/सामग्री के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

दोष देयता अवधि (डीएलपी) के दौरान सेवा में देरी के लिए दंड: -

- डीएलपी अनुबंध जारी रहने के दौरान, पूरा ध्यान रखा जाए ताकि इकाइयों का डाउनटाइम कम से कम हो। निर्धारित समय के भीतर शिकायत पर ध्यान देने में विफल रहने की स्थिति में, जुर्माना निम्नानुसार लगाया जाएगा, जिसे देय बकाया/सुरक्षा जमा से घटाया जाएगा जो इसके मूल्य के अधिकतम 100% के अधीन होगा।

		शिकायत पर ध्यान देने का समय	जुर्माना
(क)	टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर दोष/शिकायत पर ध्यान नहीं देना	1 दिन	निर्धारित समय से परे रु. 500/- प्रति दिन
(ख)	यदि अनिवार्य त्रैमासिक सेवा नहीं की जाती है		देय राशि से 2,000/- रुपये प्रति सर्विस

इसके अलावा, यदि 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रणाली को ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को जोखिम पर प्रणाली को सुधारने का अधिकार होगा और ठेकेदार को देय राशि से लागत की वसूली होगी। बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह प्रणाली को सुधारने में देरी के लिए दंड के रूप में बैंक गारंटी का आह्वान कर सकता है और यदि ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है, तो अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

3.18 व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)

निविदाकार मात्रा की अनुसूची के अनुसार पूरी प्रणाली की व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा के लिए अपने प्रभारों को अलग से उद्धृत करेंगे जो दोष देयता अवधि (डीएलपी) के एक वर्ष के बाद लागू होंगे।

सफल निविदाकर्ता निम्नानुसार बैंक की शर्तों और कार्य के दायरे के साथ प्रणाली के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए एक करार करेगा:

- सिस्टम में स्पेयर पार्ट/दोषपूर्ण घटक प्रतिस्थापन सहित सिस्टम की आवधिक (त्रैमासिक) सर्विसिंग/स्वास्थ्य जांच यदि रखरखाव अनुबंध के दौरान दोषपूर्ण पाया जाता है और सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स, फिल्टर, कंप्रेसर, फैन मोटर, ह्यूमिडिफायर (उपभोग्य सामग्रियों सहित, यदि कोई हो), हीटर, पंखे के ब्लेड, कपैसिटर आदि इलेक्ट्रॉनिक भागों, पीसीबी, वीएफडी, माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रक कार्ड, एलसीडी डिस्प्ले, रिमोट, बिजली के स्पेयर पार्ट्स, तार (इनडोर से आउटडोर), कॉपर पाइपिंग, ड्रेन पाइप आदि आवश्यकता के अनुसार।
- मुख्य स्विच, वायरिंग और शीतलन दक्षता पर विद्युत कनेक्शन की जाँच/कसना।
- इनडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट की जाँच और सफाई, जिसमें ब्लोअर, संक्षेपण इकाई, कॉइल, पंखा, एयर फिल्टर, बाष्पीकरणकर्ता कॉइल शामिल हैं। कॉइल आदि को साफ करने के लिए पानी के दबाव पंप का उपयोग किया जाएगा।
- बीयरिंग विफलता, मोटर में तेल लगाने आदि के कारण असामान्य शोर की जांच।
- ओईएम मानक के अनुसार सभी इकाइयों की दक्षता बनाए रखने के लिए जब भी आवश्यक हो, रेफ्रिजरेंट गैस की टॉपअप।
- कलपुर्जों की आयात, जहां भी आवश्यक हो, की खरीद और उनका भंडारण निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। पुर्जों/घटकों की अनुपलब्धता को शीघ्र सेवा प्रदान करने में विलंब के लिए दंड को माफ करने के कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- g. संचालन के दौरान इष्टतम दक्षता के साथ इकाई को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए ओईएम की सिफारिश के अनुसार कोई अन्य सेवाएं।

सीएएमसी के दौरान सुधार में देरी के लिए जुर्माना:

व्यापक वार्षिक अनुरक्षण सेवा अवधि (डीएलपी अवधि के बाद) के दौरान, प्रणाली में किसी भी दोष को टेलीफोन पर या ई-मेल के माध्यम से प्रणाली में दोष की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित समय के भीतर ठीक किया जाएगा। इसलिए, उद्धृत दरों में निकटतम सर्विस स्टेशन से यात्रा लागत सहित सभी लागतों को ध्यान में रखा जाएगा। निर्धारित समय के भीतर शिकायत पर ध्यान देने में विफलता के मामले में, जुर्माना निम्नानुसार लगाया जाएगा जिसे देय राशि से घटाया जाएगा जो इसके मूल्य के अधिकतम 100% के अधीन होगा।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	शिकायत पर ध्यान देने का समय	जुर्माना
(क)	टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर दोष/शिकायत पर ध्यान नहीं देना	1 दिन	निर्धारित समय से परे रु. 500/- प्रति दिन
(ख)	यदि अनिवार्य त्रैमासिक सेवा नहीं की जाती है		देय राशि से 2,000/- रुपये प्रति सर्विस

इसके अलावा, यदि 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रणाली को ठीक नहीं किया जाता है, तो बैंक को जोखिम में पड़ी प्रणाली को सुधारने का अधिकार होगा और ठेकेदार की लागत को देय राशि से वसूल की जाएगी। बैंक को ठेकेदार द्वारा एएमसी सेवाओं की गैर-जवाबदेही/गैर-प्रतिपादन के लिए दंड के रूप में बैंक गारंटी का आह्वान करने और ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर अनुबंध को समाप्त करने का भी अधिकार होगा।

व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा (सीएएमसी) के दौरान सेवा शुल्क का भुगतान:

सीएएमएस अवधि के दौरान **संतोषजनक सेवा प्रदान करने और चालान के साथ मूल रूप से हस्ताक्षरित सेवा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर** त्रैमासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

सेवा अनुबंध को 1 वर्ष के डीएलपी और एक वर्ष की प्रारंभिक वार्षिक सेवा संपर्क अवधि के बाद कम से कम 8 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। अनुबंध का नवीनीकरण करते समय नई अनुबंध राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर प्राप्त की जाएगी:

$\text{एसी} = \text{एपी} [(15 + 60 \times (\text{ईपीआईसी}/\text{ईपीआईपी}) + 25 \times (\text{सीपीआईसी}/\text{सीपीआईपी}))]/100$	
एसी	चालू वर्ष के लिए अनुबंध की राशि।
एपी	पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की राशि।

ईपीआईसी	चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।
ईपीआईपी	पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से 6 महीने पहले विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक।
सीपीआईसी	चालू वर्ष के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 माह पहले औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत)।
सीपीआईपी	औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अखिल भारतीय औसत) पिछले वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने पहले।

3.19 पैकिंग और प्रेषण

उपकरण को भारतीय परिस्थितियों में ठीक से और सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा और समुद्र/वायु/रेल/सड़क मार्ग से बक्सों में परिवहन किया जाएगा। सभी उपकरण/घटक बैंक के कार्यालय भवन, कानपुर में वितरित किए जाएंगे। बैंक भवन के परिसर के भीतर भंडारण स्थान प्रदान करेगा। हालांकि, संग्रहीत सामग्री की जिम्मेदारी और सुरक्षा ठेकेदार के पास होगी। बैंक द्वारा किसी भी श्रमिक के लिए कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

3.20 अनुबंध करार पर हस्ताक्षर

निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, यहां पहले संदर्भित शर्तें और तकनीकी विनिर्देशों और ई-निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न चित्र, बैंक और निविदाकर्ता के बीच आदान-प्रदान किए गए बाद के पत्राचार और दिए गए कार्य आदेश सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगे।

निविदाकर्ता को अनुबंध की सामान्य शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा और उसका प्रस्ताव उन शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए। बताई गई शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ई-निविदा दस्तावेज के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए, जिससे यह पता चले कि उन्होंने अनुबंध की सामान्य शर्तों, तकनीकी विनिर्देशों आदि को समझ लिया है।

- बैंक से उसकी ई-निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को लागू करने के लिए बाध्य होगा **और उसके चौदह दिनों के भीतर**, सफल निविदाकर्ता मसौदा **करार** के अनुसार एक **करार** पर हस्ताक्षर करेगा। **करार** पर हस्ताक्षर करने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ई-निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और ई-टेंडरिंग करने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी **करार** का गठन करेगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया गया हो या नहीं।
- ठेकेदार अनुबंध नहीं सौंपेगा। वह नियोक्ता की लिखित सहमति के अलावा अनुबंध के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इन शर्तों के उल्लंघन के मामले में, नियोक्ता अनुबंध को रद्द करने के लिए ठेकेदार को लिखित रूप में एक नोटिस दे सकता है, जिसके बाद ठेकेदार के खिलाफ अपने अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता के हित में प्रतिभूति जमा जब्त कर ली जाएगी।

3.21 **आंशिक ई-निविदा** स्वीकार करने का अधिकार: बैंक ई-निविदा को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत समान कीमतों पर होता है।

3.22 ई-निविदा का मूल्यांकन

- पात्र निविदाओं (जो निविदा के भाग I में अर्हता प्राप्त करते हैं) का मूल्यांकन, कार्य की कुल लागत के आधार पर किया जाएगा और दोष देयता / गारंटी अवधि के एक वर्ष की समाप्ति के बाद 9 साल की अवधि के लिए व्यापक सेवा अनुबंध के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव पर विचार किया जाएगा।
- निविदाकारों के प्रस्तावों का मूल्यांकन उक्त प्रणाली के स्वामित्व **की कुल लागत (टीसीओ)** के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 10 वर्ष की उपयोगी सेवा जीवन है। उक्त **टीसीओ** में शामिल होंगे:

1.	पूँजीगत कार्य की लागत	कहो (A)
2.	पुरानी प्रणाली की बायबैक के लिए छूट	कहो (B)
3.	दोष देयता अवधि के एक वर्ष के बाद एक वर्ष के लिए व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध।	कहो (C)
	1 वर्ष दोष देयता अवधि के बाद 9 साल की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव सेवा अनुबंध शुल्क के एनपीवी की गणना एएमसी के पहले वर्ष के बाद हर साल अनुबंध राशि में 5% की वृद्धि, छमाही भुगतान और 8% की छूट दर के साथ की जाएगी। इस प्रकार, <i>(1 वर्ष की गारंटी अवधि) के बाद 9 वर्षों के लिए एएमसी के एनपीवी को तैयार करने के लिए गुणक कारक (एमएफ) 7.03 होगा।</i> नोट: एनपीवी की गणना के लिए एएमसी राशि निविदा के भाग II में उद्धृत के अनुसार ली जाएगी	
4.	स्वामित्व की कुल लागत (शुद्ध लागत)	डी = ए-बी + (सीX 7.03)
5.	यह कार्य स्वामित्व की कुल लागत के न्यूनतम मूल्य के लिए प्रदान किया जाएगा जैसा कि ऊपर (डी) में गणना की गई है।	

स्वामित्व की कुल लागत = पूँजीगत कार्य की लागत (ए) - बायबैक (बी) + 7.03 * पहले वर्ष की एएमसी दर (सी)

3.23 मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

- यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने ई-टेंडरिंग से पहले काम के लिए अपने ई-टेंडर की सही और पूरी जानकारी ले ली है और 'मात्राओं की सूची' और/या 'दरों और कीमतों की सूची' में बताई गई कीमतों से संतुष्ट है। इन दरों और कीमतों में अनुबंध के तहत उसकी सभी ज़िम्मेदारियाँ और काम को ठीक से पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें शामिल होंगी।

- 'मात्राओं की सूची' में दी गई मात्राएँ काम के कुल दायरे का अंदाज़ा देती हैं, लेकिन इनमें किसी भी हद तक बदलाव हो सकता है या इन्हें हटाया भी जा सकता है, जिससे अनुबंध की कुल कीमत बदल सकती है।
- काम पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी मदों का काम करने के लिए सफल टेंडर बाध्य है, भले ही वे मद मात्राओं और दरों में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त मद और उनकी मात्राओं के बारे में निर्देशों की सूची बैंक द्वारा लिखित रूप में जारी की जाएगी।
- ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिए कि सारा काम सख्ती से विनिर्देशों के अनुसार और स्थानीय सार्वजनिक प्राधिकरणों की ज़रूरतों और भारतीय बिजली नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा; इसमें किसी भी कारण से कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। इससे जुड़ी कोई भी दर टेंडर में ही शामिल की जानी चाहिए।
- ई-टेंडर में बताई गई दरों में मचान, रात में निगरानी और लाइटिंग, रविवार और छुट्टियों सहित दिन-रात होस्ट-वे की सुरक्षा, और अन्य सभी ढाँचों या चीज़ों की सुरक्षा के सभी खर्च शामिल होंगे। ठेकेदार को ज़रूरत पड़ने पर या आदेश मिलने पर ऐसी कोई भी या सभी सेंट्रिंग, मचान आदि को हटाना होगा, और काम के दौरान खराब हुई सभी चीज़ों को बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से ठीक करना होगा।

3.24 भाषा: चित्र, दस्तावेज, कैटलॉग आदि में सभी लेबल सहित ई-निविदा अंग्रेजी भाषा में होगी।

3.25. अन्य मुद्दे-

ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुमोदित ड्राइंग, विस्तृत विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा। यदि बैंक के इंजीनियर/सलाहकार की राय में, साइट की स्थिति के अनुरूप नाममात्र परिवर्तन किए जाने हैं और नियोक्ता के लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के साथ, ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसे पूरा करेगा। निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वे ई-टेंडर जमा करने से पहले चित्रों की जांच करें, कार्य स्थल का निरीक्षण करें और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य तक पहुंच के साधनों, कार्य की प्रकृति आदि से खुद को परिचित करें।

3.26. बैंक संपत्ति को नुकसान:

ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह बैंक की संपत्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए काम करते समय उचित सावधानी बरतें। बैंक निर्माण परियोजनाओं के लिए गैर-आकस्मिक गतिविधियों को करते समय बैंक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दंड सहित लागत की वसूली कर सकता है।

3.27. **साइट पर कारखाना निरीक्षण-** साइट पर उपकरण भेजने से पहले, **बैंक के विवेक पर**, निर्माता की साइट पर किसी भी ग्रेड में {बैंक के इंजीनियर} बैंक के तकनीकी अधिकारियों द्वारा उपकरण का निरीक्षण किया जा सकता है और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दी जा सकती है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, निरीक्षक को सभी उचित सुविधाओं की पेशकश करेगा जो स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं, कि इस निविदा दस्तावेज से जुड़े विशेष विनिर्देशों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्य के उपकरण/निष्पादन का निर्माण किया जा रहा है और/या निष्पादित किया गया है।

अनुबंध के तहत काम पूरा होने के दौरान, बैंक के इंजीनियर को ठेकेदार के काम या साइट पर कभी भी पूरी और बिना रोक-टोक के पहुंचने का अधिकार होगा। वह ठेकेदार से काम, उसके किसी हिस्से या किसी

सामग्री की जाँच के लिए अपने परिसर में या बैंक के इंजीनियर द्वारा बताई गई किसी अन्य जगह पर इंतज़ाम करने के लिए कह सकता है। अगर ठेकेदार को किसी उप- ठेकेदार की सेवाएँ लेने की अनुमति दी गई है, तो बैंक के इंजीनियर के पास भी वैसा ही अधिकार होगा।

हालांकि, यह किसी भी तरह से ठेकेदार को निर्दिष्ट स्थल पर निर्माण और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/घटकों के उचित प्रदर्शन के बारे में उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा।

3.28 बैंक के इंजीनियर को यह अधिकार होगा कि वह सभी उपकरण और सामग्री को एक ही या उसके किसी भी हिस्से का हिस्सा बनाने वाले ऐसे परीक्षणों में डाल सकता है जो वह उपयुक्त और उचित समझे। ठेकेदार निरीक्षक द्वारा अपनाई गई परीक्षण की विधि पर किसी भी आधार पर आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा। ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, सभी सामग्री, उपकरण, श्रम और हर प्रकार की सहायता प्रदान करेगा, जो बैंक का इंजीनियर किसी भी परीक्षण/निरीक्षण और परीक्षा के लिए उससे मांग कर सकता है, जिसे उसे ठेकेदार के परिसर में करने की आवश्यकता होगी और उस पर आई सभी लागतों का वहन और भुगतान करेगा। हालांकि, निरीक्षण स्थल पर बैंक के इंजीनियर (ओं) की यात्रा, विराम और आवास की लागत बैंक द्वारा वहन की जाएगी।

3.29. **अस्वीकृति का परिणाम:** यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा अस्वीकृत किए जाने वाले उपकरण पर या उपकरण या उसके हिस्से पर ठेकेदार संतोषजनक आपूर्ति करने या इस प्रकार निष्पादित दोषपूर्ण कार्य को सुधारा करने में विफल रहता है, तो बैंक निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र होगा:

- i) ठेकेदार को अस्वीकार किए गए उपकरणों या भागों को फिर से जमा करने की अनुमति दें, निर्दिष्ट किए जाने वाले समय के भीतर, ठेकेदार माल ढुलाई की लागत को वहन करता है, यदि कोई हो, तो उस खाते पर किसी भी अतिरिक्त भुगतान के हकदार हुए बिना; या
- ii) अस्वीकृत किए गए उपकरण या भाग (या उसी तरह के दूसरे उपकरण या पुर्जा, जब बैंक की राय में - जो आखिरी मानी जाएगी - विनिर्देशों के अनुसार से सही उपकरण या पुर्जा आसानी से उपलब्ध न हों) की मात्रा/काम को ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर खरीदने/पूरा करने या खरीदने/पूरा करने की मंजूरी देने का काम करना; और ऐसा करने से अनुबंध के तहत आपूर्ति के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा; या
- iii) अनुबंध को रद्द करें और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उपकरण या समान विवरण के अन्य उपकरणों या अन्य की खरीद/निष्पादन या प्राधिकृत करें (जब विनिर्देशों का बिल्कुल अनुपालन करने वाले उपकरण या पुर्जे बैंक की राय में नहीं हैं, जो अंतिम होंगे, आसानी से उपलब्ध होंगे)। उपरोक्त खंड (बी) या इस खंड के तहत कार्रवाई की जा रही कार्रवाई की स्थिति में, जहां तक लागू हो, वितरण खंड का प्रावधान लागू होता है।
- iv) अस्वीकृति के संबंध में बैंक के अभियंता का निर्णय अंतिम रूप से - अस्वीकृति के संबंध में बैंक के अभियंता का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार की अपील के अधीन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

3.30. कार्य निष्पादन को प्रमाणित करने के लिए निरीक्षक प्राधिकारी: - बैंक के इंजीनियर के पास इसकी शक्ति होगी:

- a) किसी भी उपकरण या उसके हिस्से को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने से पहले यह प्रमाणित करने के लिए कि वे या उसका कोई हिस्सा विनिर्माण की किसी असंतोषजनक विधि को अपनाने के कारण अनुबंध के अनुसार नहीं है।
 - b) विनिर्देश के अनुसार नहीं होने के रूप में प्रस्तुत किए गए किसी भी उपकरण या भागों को अस्वीकार करने के लिए।
 - c) निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए पूरे उपकरण को अस्वीकार करने के लिए, यदि उसके ऐसे हिस्से के निरीक्षण के बाद जैसा कि वह अपने विवेक से उचित समझता है, तो वह संतुष्ट है कि यह असंतोषजनक है; तथा
 - d) अस्वीकृत उपकरण या भागों को अस्वीकृति चिह्न के साथ चिह्नित करने के लिए ताकि फिर से जमा किए जाने पर इसे आसानी से पहचाना जा सके।
- 3.31. काम शुरू करने या उसे पूरा करने में हुई देरी की वजह से ठेकेदार को हुए किसी भी नुकसान के लिए उसे कोई मुआवज़ा नहीं मिलेगा, चाहे देरी की वजह कुछ भी हो। इसमें उसे सौंपे गए काम में बदलाव, उससे जुड़े किसी उप-अनुबंध, परियोजना के दूसरे कामों के लिए अनुबंध देने में देरी, या ऐसे कामों को शुरू करने या पूरा करने में हुई देरी शामिल है। नियोक्ता, ई-टेंडर की रकम के अलावा किसी भी और रकम के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, सिवाय उन बदलावों के जो यहाँ बताए गए हैं।
- 3.32. **श्रम लाइसेंस:** ठेकेदार ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य सभी प्रासंगिक वैधानिक अधिनियमों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि) के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा और उन्हें पूरा करेगा और यदि लागू हो तो सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उद्धृत दर में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत देय ईएसआई, ईपीएफ, बोनस या किसी अन्य मुआवजे आदि के लिए देय राशि शामिल होगी।
- 3.33. सफल निविदाकर्ता को बैंक द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि काम कम से कम संभव देरी के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़े।

3.34 मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा: किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि इसके खंड 33 में कहा गया है। लेकिन यदि या तो ठेकेदार किसी ऐसे मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त के रूप में निर्णय लिया गया है, किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति

को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित अपवाद के मामलों के संबंध में छोड़कर किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपना या अपना पंचाट देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा कि मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है)। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौतों के संदर्भ में एक पंचाट देगा।

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी और पार्टियों के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, का पंचाट दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह तय किया गया है कि ठेकेदार किसी ऐसे मामले, सवाल या विवाद की मध्यस्थता में भेजे जाने की वजह से काम में देरी नहीं करेगा, बल्कि पूरी लगन से काम जारी रखेगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों (जैसा भी मामला हो) का निर्णय आने तक बैंक के फ़ैसले का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों (जैसा भी मामला हो) का कोई भी पंचाट ठेकेदार को काम को असल में करने के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इस बात पर भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता, अनुबंध के तहत किसी भी कानूनी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक ज़रूरी शर्त होगी।

3.35 अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार - नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों और ठेकेदार के अंतिम बिल की तकनीकी जांच कराने का अधिकार होगा। यदि अन्यथा इस जाँच के परिणामस्वरूप किसी भी राशि को अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाया जाता है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

3.36 नियोक्ता कामगार को भुगतान किए गए मुआवजे को कवर करने का हकदार है, यदि, किसी भी वजह से, 'कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923' (या उसमें किए गए किसी कानूनी बदलाव या दोबारा लागू किए गए कानून) के तहत, नियोक्ता को ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने के लिए रखे गए किसी कामगार को मुआवज़ा देना पड़ता है, तो नियोक्ता को ठेकेदार से वह मुआवज़े की रकम वसूलने का अधिकार होगा। यह अधिकार उस अधिनियम के तहत नियोक्ता के दूसरे अधिकारों पर असर डाले बिना होगा। नियोक्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसी रकम या उसका कोई हिस्सा प्रतिभूति जमा से या ठेकेदार को देय किसी

रकम से काटकर वसूल कर ले। नियोक्ता उस एक्ट के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी दावे का मुकाबला करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय तब जब ठेकेदार लिखित में अनुरोध करे और नियोक्ता को उस दावे का मुकाबला करने से होने वाले सभी खर्चों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के अनुसार पूरी प्रतिभूति दे।।

3.37 कार्यों का परित्याग- अगर निविदा मंजूर होने के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे काम या उसके किसी हिस्से को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बैंक ठेकेदार को लिखित में नोटिस देगा। ऐसे में ठेकेदार को किसी भी तरह के मुआवज़े या किसी और चीज़ का दावा करने का हक़ नहीं होगा, भले ही उसे पूरा काम करने से कोई फ़ायदा या लाभ हो सकता था।

3.38 अधिशेष सामग्री की वापसी- इस अनुबंध की किसी भी या सभी शर्तों में कुछ भी अलग लिखा होने के बावजूद, अगर अनुबंध को पूरा करने के लिए कोई सामान नियोक्ता की मदद से सरकार द्वारा जारी आदेश, परमिट या लाइसेंस के तहत खरीदा जाता है, तो ठेकेदार उस सामान को किफ़ायती तरीके से और सिर्फ़ अनुबंध के मकसद से ही रखेगा। वह नियोक्ता की पहले से लिखित मंजूरी के बिना उसे बेचेगा या हटाएगा नहीं। अगर नियोक्ता चाहे, तो ठेकेदार को वह सामान नियोक्ता को वापस करना होगा। इसकी कीमत बैंक तय करेगा, जो सामान की हालत को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। यह कीमत सामान की खरीद कीमत (जिसमें बिक्री कर, चुंगी और ठेकेदार द्वारा चुकाए गए अन्य शुल्क शामिल हों) से ज़्यादा नहीं होगी। अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो ठेकेदार पर लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही उसे नियोक्ता को वह सारा पैसा, फ़ायदा या मुनाफ़ा भी देना होगा जो उस उल्लंघन की वजह से उसे मिला या आम तौर पर मिलता।

3.39 ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार - इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

3.40 गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार, बैंक के आधारभूत संरचना/प्रणाली/उपकरण आदि से जुड़ी किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण को किसी तीसरे पक्ष के सामने सीधे या परोक्ष रूप से उजागर नहीं करेगा—चाहे वह जानकारी इस समझौते के तहत अपनी अनुबंध संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करते समय उसे मिली हो या उसकी जानकारी में आई हो—और वह हर समय इसे पूरी तरह गोपनीय रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जो इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए ज़रूरी हो। ठेकेदार, नियोक्ता की पहले से लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और काम के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या उजागर नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के उजागर होने के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने पर इसे ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता हर्जाने का दावा

करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

3.41 यौन उत्पीड़न खंड-

- a. "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी।
- b. सेवा प्रदाता के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- c. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, तो किसी भी मौद्रिक मुआवजे (जैसे बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई मौद्रिक राहत) का भुगतान करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा, बशर्ते ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाए।
- d. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- e. ठेकेदार बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

3.42 अप्रत्याशित घटना: यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से परे किसी घटना की घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है (जैसे कि ईश्वर के कार्य, युद्ध जैसी स्थितियां, दंगे, श्रम हड़ताल, सरकारी कार्रवाई, भूकंप, चक्रवात, आंधी, और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, आदि), तो उस पक्ष को इस समझौते के तहत चूक नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष इस समझौते के तहत कार्य निष्पादन को जारी रखने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण गैर-निष्पादन की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जिस पार्टी की निष्पादन करने की क्षमता इतनी प्रभावित नहीं हुई है, वह लिखित सूचना देकर, इस समझौते को समाप्त कर सकती है।

3.43 खंड 40, 41 और 42 डीएलपी और सीएएमसी के दौरान भी समझौते का हिस्सा होंगे।

3.44 जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से डाला गया, उसके आगे जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन / घोषणा / प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं, तो उसकी निविदा/कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना धन जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी / प्रतिभूति जमा को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से बोलीदाता को भी रोक सकता है

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

दिनांक:

फर्म के हस्ताक्षर

स्थान:

(प्राधिकरण/मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्ति द्वारा)

खंड IV

खंड बी: सुरक्षा कोड

1. साफ पट्टी और रूई की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर रखा जाएगा।
2. एक घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा, ऐसे मामलों में जहां चोट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।
3. उन सभी कार्यों के लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान प्रदान किए जाने चाहिए जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते हैं।
4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त श्रम लगाया जाएगा।
5. किसी भवन के फर्श में या कार्य मंच में प्रत्येक खुली जगह को उपयुक्त बाड़ या रेलिंग प्रदान करके व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त साधन प्रदान किए जाएंगे; जिसकी न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
6. खुदाई से निकली मिट्टी को खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई (इनमें से जो भी ज़्यादा हो) के भीतर नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
7. संरचना के किसी भी फर्श, छत या अन्य हिस्से को सामग्री के मलबे से इतना अधिक नहीं लगाया जाएगा कि यह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट जैसी सामग्री के मिश्रण और हैंडलिंग पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्यों में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप को छोड़कर सीसा या सीसा उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा। श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाएगी जब पेंट स्प्रे या सतह के रूप में लगाया जाता है, जिसमें लेड पेंट, सूखा, रगड़ और स्क्रेप किया जाता है।
11. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को चौगा की आपूर्ति की जाएगी और काम करने वाले चित्रकारों को काम बंद होने की अवधि के दौरान धोने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
12. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित सही स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को उत्पादित करने या कम करने में उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ, या निलंबन का साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की होनी चाहिए और दोषों से मुक्त होनी चाहिए।
14. यह एक अधिगृहीत परिसर है और बैंक की सुविधा के आधार पर साइट तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

अग्नि सुरक्षा कोड

- i. साइट पर उपयोग किए जाने वाले कटिंग / ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत संचालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेट में प्लग किया जाएगा।
- ii. केवल आईएसआई चिह्नित 3-पिन प्लग और अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- iii. उपयोग किए गए विद्युत केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उन्हें ठीक से लगाया जाना चाहिए।
- iv. सभी विद्युत उपकरणों यानी वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को ऑपरेशन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाएगा।
- v. किसी भी दिन पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, फायर सेक्शन को सूचित किया जाना चाहिए और फायर अधिकारियों/कर्मियों द्वारा साइट का निरीक्षण करने के बाद ही काम शुरू किया जाना चाहिए।
- vi. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
- vii. अनुशंसित अग्निशामक यंत्रों को साइट पर रखा जाएगा।
- viii. प्रयुक्त पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही निर्दिष्ट स्टोर में संग्रहीत किया जाएगा।
- ix. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा जूते, हाथ दस्ताने, वेल्डर का मास्क, ईयर प्लग आदि, व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रदान किए जाएंगे।
- x. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और जमीनी स्तर से 10 फीट से अधिक ऊंचाई से काम करते समय श्रमिकों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों की लॉबी के पास के किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/कचरे को ढेर करने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।
- xiii. किसी भी अग्निशामक यंत्र को उसके निर्दिष्ट स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xiv. उपकरण उपयोग में न होने पर बिजली की आपूर्ति मुख्य से बंद कर दी जाएगी।
- xv. काम के दौरान निकलने वाले लकड़ी के बुरादे और छीलन को रोज़ इकट्ठा करके साइट से हटाना होगा और तय जगह पर सही तरीके से रखना होगा।
- xvi. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और उचित तरीके से निर्दिष्ट स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय के समय के बाद काम करते समय, ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:

दिनांक:

पता:

खंड V

यहां पहले से संदर्भित शर्तें

1. इन शर्तों के निर्माण में, विनिर्देश, मात्रा की अनुसूची और अनुबंध करार, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ यहां लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता होती है।
 - ए) "नियोक्ता" इसका अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा और इसमें इसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
 - बी) कंपनी के मामले में "ठेकेदार का मतलब _____ 19__ के तहत निगमित कंपनी _____ होगा और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में होगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुदेशिती शामिल होंगे।
 - सी) "साइट" इसका अर्थ होगा अनुबंध कार्यों की साइट जिसमें कोई भी भवन और उस पर निर्माण और किसी भी अन्य भूमि (समावेशी) शामिल है, जैसा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित किया गया है।
 - डी) "यह अनुबंध" इसका अर्थ होगा करारनामा, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्रा और विशिष्टताओं की अनुसूची इससे जुड़ी और विधिवत हस्ताक्षरित।
 - ई) "लिखित रूप में सूचना" इसका मतलब होगा लिखित, टाइप या मुद्रित या लिखित नोटिस में एक नोटिस" अक्षर भेजे गए (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से अन्यथा प्राप्त किया गया हो) पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय में भेजा गया है और इसे प्राप्त किया गया माना जाएगा, जब डाक की सामान्य प्रक्रिया में इसे वितरित किया गया होगा।
 - एफ़) "दिवालिया अधिनियम" प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट, या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालियापन के किसी भी अधिनियम का अर्थ होगा।
 - जी) "शुद्ध मूल्य" यदि अनुबंध राशि पर पहुंचने में ठेकेदार ने ई-निविदा में मदों की कुल राशि में से कोई राशि जोड़ दी है या काट ली है, या तो प्रतिशत के रूप में या अन्यथा है, तो उनकी निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य ई-निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़ों में से जोड़ने या घटाकर प्राप्त राशि होगी, उस वस्तु की कीमत के रूप में एक समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि हमेशा प्रदान की जाती है कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी गई

या काटी गई राशि के प्रतिशत या अनुपात का निर्धारण करने में, किसी भी प्राइम कॉस्ट मदों की कुल राशि और अनंतिम रकम ई-निविदा की कुल राशि से काट ली जाएगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" जब अनुबंध या खाते के संदर्भ में उपयोग की जाती हैं, तो इसका मतलब दरों या कीमतों पर लगाया जाएगा।

एच) "कार्य"

इसका मतलब होगा कि कानपुर में बैंक के कार्यालय परिसर और दो आवासीय कॉलोनियों के लिए पूरी तरह से स्वचालित जैविक अपशिष्ट कनवर्टर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

2. **अनुबंध का दायरा:** ठेकेदार इस अनुबंध के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के साथ और उसकी संतुष्टि के लिए हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूर्ण करेगा। बैंक का इंजीनियर अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर आगे के आरेखण और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से निम्नलिखित के लिए "बैंक के इंजीनियर के निर्देश के संबंध में" कहा जाता है:

1. डिजाइन, गुणवत्ता या कार्यों की विविधताएं या संशोधन या किसी भी कार्य का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।
2. आरेखण में या मात्रा अनुसूची और/या आरेखण और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।
3. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लाई गई किसी भी सामग्री को हटाना और उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।
4. ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।
5. उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति को कार्य से बर्खास्त करना।
6. किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।
7. इसके खंड 20 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

ठेकेदार बैंक इंजीनियर के ऐसे निर्देशों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत पालन करेगा और उसे विधिवत निष्पादित करेगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को कार्यों के संबंध में दिए गए मौखिक निर्देश, दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, यदि उनमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाएगी, इन्हें अनुबंध के दायरे में नियोक्ता के निर्देश माना जाएगा।

ठेकेदार दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित मात्रा और दरों का विवरण देते हुए

परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि ये विवरण उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर दिए जाते।

3. अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा और बैंक इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार प्रत्येक अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। ठेकेदार लाइन आरेख तैयार करेगा और कार्य करने के लिए साइट की योजना तैयार करेगा। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वह बैंक के इंजीनियर को सभी चित्र और विनिर्देश प्रस्तुत करेगा।

4. ठेकेदार को अपने खर्च पर आरेखों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उनका उचित अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को आरेखों में या आरेखों, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह उसे तुरंत और लिखित रूप में बैंक के इंजीनियर को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका अनुसरण किया जाए। ठेकेदार को सलाह दी जाती है कि वह स्थल पर निष्पादित मात्रा का मापन ले और बैंक के अभियंता को रिपोर्ट करे।

5. प्राधिकरण, सूचनाएँ और पेटेंट: ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधि के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकारी, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों, जिनकी प्रणाली से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उपनियमों का पालन करना होगा, और आरेखों या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, जो इस प्रकार आवश्यक हो, वास्तुकार को लिखित सूचना देनी होगी, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख होगा और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो उसे संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उपनियमों के अनुसार कार्य करना होगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 17 के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी फीस का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

6. कार्य की रूपरेखा: ठेकेदार कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और पूर्ण रूपरेखा के लिए तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

7. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए: सभी सामग्री और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और अनुबंध के अनुसार होनी चाहिए और ठेकेदार नियोक्ता को सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्चे पर किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण की व्यवस्था कराएगा।

8. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर उसका प्रतिनिधि: ठेकेदार, कार्यों के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, नियोक्ता द्वारा आवश्यक समझे जाने तक, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य के पूरे चालू रहने के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते रहने तक, कार्यों पर निरंतर उपस्थित रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचना, ठेकेदार को दिए गए माने जाएंगे।

9. कामगारों की बर्खास्तगी: ठेकेदार बैंक के इंजीनियर के अनुरोध पर, कार्य पर अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तुरंत कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के इंजीनियर की राय में, अयोग्य हो या स्वयं कदाचारी हो और ऐसे व्यक्तियों को बैंक के इंजीनियर की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

10. कार्यों तक पहुँच: नियोक्ता को सभी उचित समयों पर, कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक, जहाँ सामग्री रखी गई है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, निर्बाध पहुँच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को सामग्रियों और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. बैंक का इंजीनियर: बैंक के इंजीनियर शब्द का अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसे नियोक्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त और भुगतान किया गया है। ठेकेदार बैंक के इंजीनियर को कार्यों और सामग्रियों का निरीक्षण करने और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

बैंक के इंजीनियर, या नियोक्ता के पास ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को गैर-अनुमोदन या किसी भी

काम या सामग्री के नोटिस देने की शक्ति होगी और इस तरह के काम को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) द्वारा समय-समय पर कार्य की जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी परीक्षा किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो कार्यों के एक चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद पाई जा सकती है। इस खंड की सीमाओं के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल बैंक के इंजीनियर से निर्देश लेगा।

12. समनुदेशन और उप-पट्टा: अनुबंध में सम्मिलित समस्त कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदित या कम-पट्टे पर नहीं देगा और ऐसा न करने पर ठेकेदार अनुबंध की पूर्ण और सम्पूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों की प्रगति के दौरान उनके सक्रिय अधीक्षण से मुक्त हो जाएगा।

13. कोई भी परिवर्तन, चूक या बदलाव इस अनुबंध को निष्प्रभावी नहीं करेगा, लेकिन यदि बैंक का इंजीनियर कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या वृद्धि, या लोप करना या उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के प्रकार में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर से लिखित में इसकी सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या छोड़ेगा, लेकिन ठेकेदार अनुबंध के किसी भी प्रावधान से कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, वृद्धि या लोप या कोई विचलन नहीं करेगा। नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के बिना शर्तों, विनिर्देशों या अनुबंध रेखाचित्रों और ऐसे अतिरिक्त परिवर्तनों, परिवर्धन या लोप का मूल्य, सभी मामलों में, नियोक्ता द्वारा खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा, या उससे घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तदनुसार।

14. मात्राओं की अनुसूची: मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी।

विवरण या मात्रा में कोई त्रुटि या मात्राओं की अनुसूची से मद्दों की चूक इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगी, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसका मूल्य, जैसा कि खंड 17 के तहत निर्धारित किया गया है, अनुबंध राशि में जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15. मात्रा अनुसूची की पर्याप्तता: यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है और मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित कीमतों के बारे में भी संतुष्ट है। ये दरें और कीमतें अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगी।

16. कार्यों का मापन -: बैंक इंजीनियर समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों का मापन करवाना है, और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या ऐसे मापन और गणना करने में बैंक इंजीनियर की सहायता करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनमें से किसी के लिए भी आवश्यक

सभी सहायता प्रदान करने के लिए एक योग्य प्रतिनिधि भेजेगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो बैंक इंजीनियर या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया मापन, कार्यों का सही मापन माना जाएगा। ऐसे मापन विनिर्देशों में वर्णित मापन विधि के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट मापन के समय आवश्यकतानुसार नोट्स और मापन ले सकता है।

नियोक्ता की पूर्व लिखित स्वीकृति से किए गए सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और सभी परिवर्तन ऐसे मापनों में शामिल किए जाएंगे।

17. अतिरिक्त मूल्य: ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित रूप में निर्देशित होने पर, आरेखणों में दर्शाए गए कार्यों, या विनिर्देश में वर्णित कार्यों, या मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़, हटाना या परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, हटाना या परिवर्तन नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि सात दिनों के भीतर उनके द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उक्त धारा के प्रावधानों के तहत यहाँ उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से निष्पादित न किया गया हो। यहाँ उल्लिखित किसी भी अतिरिक्त को प्राधिकृत माना जाएगा और निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(a) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगे, जहाँ ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का हो और उसमें मूल्यांकित कार्य जैसी शर्तों के तहत निष्पादित किया गया हो।

(ii) सभी मदों के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

(b) मूल निविदा के शुद्ध मूल्य छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगे, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में भिन्नता आती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए मूल्य उप-खंड (ग) के तहत मूल्यांकित किए जाएंगे।

© जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत उद्धृत नहीं किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्य की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण अनुबंध कार्य या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की मात्रा ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या मूल्य में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, तो बैंक का इंजीनियर नियोक्ता की लिखित पूर्व स्वीकृति के साथ ऐसी अन्य दर या मूल्य निर्धारित करेगा जैसा कि वह परिस्थितियों में तर्कसंगत और उचित समझे।

(d) जहां अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार को निविदा या मूल्यांकित अनुसूची या मात्रा में उल्लिखित शुद्ध दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें

दी जाएंगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में दैनिक समय (कर्मचारियों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले बैंक के इंजीनियर को सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएं।

अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं उल्लिखित है तो खंड 21 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के छह महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

18. नियोक्ता की संपत्ति मानी जाने वाली अनिर्धारित सामग्री

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) बैंक के इंजीनियर ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उन्हें हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

19. अनुचित कार्य को हटाना: नियोक्ता को, कार्य के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप में आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय(यों) के भीतर, ऐसी किसी भी सामग्री को कार्य से हटा दे जो बैंक के इंजीनियर की राय में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्री को प्रतिस्थापित करे, और अरेखणों एवं विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से निष्पादित किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे और ठेकेदार ऐसे आदेश का अपने खर्च पर तुरंत पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को वेतन पर नियुक्त करने का अधिकार होगा; और उसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय या देय होने वाली किसी भी राशि से काट लिए जाएंगे।

20. वास्तविक समापन के बाद दोष: कोई भी खराबी, सिकुड़न, धंसाव या अन्य त्रुटि जो इसके साथ संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित "खराबी दायित्व अवधि" के भीतर प्रकट हो सकती है, या यदि कोई अवधि उल्लिखित न हो, तो कार्यों के आभासी पूरा होने के बाद की खराबी दायित्व अवधि के दौरान, जो नियोक्ता की राय में अनुबंध के अनुसार न होने वाली सामग्रियों या कारीगरी के कारण उत्पन्न हुई हो, उसे नियोक्ता के लिखित निर्देश पर, और उसमें निर्दिष्ट उचित समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर सुधारा और ठीक किया जाएगा। चूक होने की स्थिति में, नियोक्ता ऐसी खराबी, सिकुड़न, धंसाव या अन्य त्रुटियों को सुधारने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान, क्षति और खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाएंगे या बैंक के इंजीनियर के लिखित प्रमाणपत्र के आधार पर, ठेकेदार को देय या भविष्य में देय होने वाली किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा काटे जा सकते हैं। या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे सुधार और ठीक करने के बदले, ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा निर्धारित राशि काट सकता है, जो ऐसे कार्य को सुधारने की लागत के बराबर होगी। यदि इस अनुबंध की धारा 32 के तहत रोकी गई राशि अपर्याप्त होती है, तो शेष राशि नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से उसके संबंध में किए गए किसी भी खर्च

के साथ वसूल की जाएगी। यदि कार्यों पर नियुक्त किसी ऐसे उप-ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो या सामग्री की आपूर्ति की गई हो, जिसे इस अनुबंध की धारा 12 और 22 के तहत नामित किया गया है, तो ठेकेदार उसी तरह से ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि ऐसा कार्य या सामग्री ठेकेदार द्वारा स्वयं की गई या आपूर्ति की गई हो और इस धारा 2 के प्रावधानों के अधीन हो। ठेकेदार नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते को पास करने के बाद भी इस धारा के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी रहेगा।

21. वास्तविक पूर्णता प्रमाणपत्र और दोष दायित्व अवधि: जब तक बैंक के इंजीनियर लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देते कि कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्यों को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्रों की तिथि से शुरू होगी।

23. नामित उप-ठेकेदार: सभी विशेषज्ञ, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग जो किसी भी माल की आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करते हैं, जिसके लिए मूल लागत मूल्य या अनंतिम राशि मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में शामिल है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा नामित या चुना जा सकता है या इसके द्वारा ठेकेदार द्वारा नियोजित उप-ठेकेदार घोषित किया जा सकता है और उन्हें यहां नामित उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाता है।

किसी भी नामित उप-ठेकेदार को कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठेकेदार के विरुद्ध उचित आपत्ति नहीं की जाएगी (सिवाय इसके कि जहां वास्तुकार और ठेकेदार अन्यथा सहमत हों) जो अनुबंध प्रदान नहीं करेगा।

(क) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेके के संबंध में उसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा जिसके अधीन ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में है।

(ख) नामित उप-ठेकेदार, ठेकेदार को उप-ठेकेदारों, उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या किसी मचान या अन्य संयंत्र, ठेकेदार की संपत्ति या किसी भी लागू कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।

(ग) नामित उप-ठेकेदार को भुगतान नियोक्ता के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर किया जाएगा बशर्ते कि कोई भी प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ठेकेदार अनुरोध करने पर बैंक को यह प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पिछले प्रमाण पत्रों में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों के खातों का विधिवत भुगतान कर दिया गया है; ऐसा न करने पर नियोक्ता बैंक के प्रमाण पत्र पर उसका भुगतान कर सकता है और ठेकेदार को देय किसी भी राशि से उसकी राशि काट सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता और उप-ठेकेदार के बीच निजी अनुबंध का सृजन नहीं होगा।

23. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति: नियोक्ता इस अनुबंध में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया

जाएगा कि अनुबंध में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

24. व्यक्ति और संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में बीमा:

ठेकेदार व्यक्तियों, जानवरों या चीजों को होने वाली सभी चोटों या क्षति के लिए और संपत्ति को होने वाले सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जो ठेकेदार या किसी भी उप-ठेकेदार या किसी भी नामित उप-ठेकेदार या उनके किसी भी कर्मचारी की ओर से किसी भी कारक चूक से उत्पन्न हो सकता है। इस खंड के तहत दायित्व में अन्य बातों के साथ-साथ संरचनाओं को होने वाली किसी भी क्षति को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वह कार्यों से सटे हों या अन्यथा, सड़कों, सड़कों, फुटपाथों, पुलों को किसी भी क्षति के साथ-साथ भवन और अन्य संरचनाओं और कार्यों को हुए नुकसान को भी कवर करेगा। बारिश, हवा, ठंड या मौसम की अन्य अस्थिरता के कारण इस अनुबंध की विषय वस्तु बनाने वाली इमारतों और अन्य संरचनाओं और कार्यों को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार भी जिम्मेदार होगा। ठेकेदार बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति रखेगा और उसे किसी भी ऐसी चोट या व्यक्तियों या संपत्ति की क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और खर्चों के संबंध में हानिरहित ठहराएगा और चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के खिलाफ, चाहे वह किसी भी कानून के तहत हो या अन्यथा और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पंचाट या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी।

ठेकेदार को इस खंड में बताए गए सभी तरह के नुकसान की भरपाई करनी होगी, ताकि अनुबंध का पूरा काम हर तरह से सही और पूरा हो सके और तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के दावों को ठीक किया जा सके या उनका निपटारा किया जा सके।

ठेकेदार को थर्ड तीसरे पक्ष की देनदारी वाली बीमा पॉलिसी लेनी होगी, जिसमें इंसानी जान के नुकसान/अपंगता (ऐसे लोग जो ठेकेदार के कर्मचारी नहीं हैं) को कवर किया जा सके। इसमें दूसरों के सामान/उपकरण/संपत्ति को होने वाले नुकसान का जोखिम भी शामिल होगा, जिसमें साइट पर अनुबंध के काम के निर्माण/इंरेक्शन/कमीशनिंग के दौरान बैंक की संपत्ति भी शामिल हो सकती है। इंसानी जान के नुकसान या पूरी/आंशिक अपंगता के लिए मुआवजे की तृतीय पक्ष देयता का मूल्य, पूरी और आंशिक अपंगता के लिए ज़रूरी कानूनी मूल्य के बराबर होगा और इसमें कोर्ट द्वारा तय किया गया मुआवज़ा भी शामिल होगा। दूसरों के उपकरण/संपत्ति को होने वाले नुकसान का कवर बैंक द्वारा मंज़ूर किया जाएगा। ठेकेदार के सब-ठेकेदार पॉलिसी के धारक या लाभार्थी नहीं होंगे और न ही पॉलिसी में उनका नाम होगा। बैंक, ठेकेदार के साथ पॉलिसी का मुख्य धारक होगा। बैंक के पास पॉलिसी के अनुदेशन का विशेष अधिकार होगा।

ठेकेदार, नियोक्ता को उन सभी दावों से सुरक्षित रखेगा जो जनता के किसी सदस्य या किसी अन्य तीसरे पक्ष द्वारा नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकते हैं, जो काम या उसके नतीजों से जुड़े हों। वह अपने खर्च पर, अनुबंध के लगभग पूरा होने तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों से ऐसे जोखिमों के खिलाफ एक मंज़ूर कार्यालय से बीमा पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा, और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा। ठेकेदार इसी तरह नियोक्ता को उन सभी दावों से सुरक्षित रखेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं, चाहे वे कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम या इस अनुबंध की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य कानून या सामान्य कानून के

तहत हों, जो ठेकेदार या किसी सब-ठेकेदार के किसी कर्मचारी से संबंधित हों। वह अपने खर्च पर, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों से ऐसे जोखिमों के खिलाफ पॉलिसी लेगा और उसे बनाए रखेगा, और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को आर्किटेक्ट के पास जमा करेगा। ठेकेदार ऊपर बताई गई बीमा पॉलिसी से जुड़ी किसी भी देनदारी के लिए ज़िम्मेदार होगा। साथ ही, इस अनुबंध के तहत ट्रांज़िट, स्टोरेज, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग के दौरान लापरवाही या काम में कमी की वजह से किसी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी वह ज़िम्मेदार होगा। वह नियोक्ता को किसी भी दावे या कानूनी कार्यवाही से होने वाले खर्च या शुल्क, और उससे जुड़े मुआवज़े या हर्जाने के भुगतान से भी सुरक्षित रखेगा।

ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से निष्पादित किया जा सकता है और इस अनुबंध पारगमन, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग नीति के लापरवाह या दोषपूर्ण संचालन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति, जानवर या संपत्ति को अन्य सभी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। वह किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवज़े या क्षति के किसी भी पुरस्कार के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति भी करेगा।

नियोक्ता किसी भी क्षति, मुआवज़े, लागत, शुल्क और व्यय की राशि में कटौती करने का हकदार होगा, जो किसी भी या सभी दावों या क्षति के संबंध में या किसी भी या सभी रकम से उत्पन्न होने वाली क्षति या ठेकेदार के कारण होने के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो जाता है। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, एक अनुमोदित कार्यालय के साथ नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम पर निम्नलिखित बीमा पॉलिसी को लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा और नियोक्ता के साथ पहले (प्रिंसिपल) होगा और इस अनुबंध की मुद्रा के दौरान समय से नियोक्ता के साथ ऐसी पॉलिसी या नीतियों को जमा करेगा।

1. अनुबंध की कुल राशि के लिए ठेकेदार की सभी जोखिम नीति (सीएआर पॉलिसी)।
 2. कामगार मुआवज़ा नीति।
 3. निम्नानुसार सीमा के साथ थर्ड पार्टी देयता पॉलिसी: रु. 10,00,000/- प्रति वर्ष
रु.2,50,000/- प्रति घटना
25. **बीमा:** ठेकेदार, कार्य शुरू होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर, अपनी लागत पर कार्यों का बीमा करेगा और अनुबंध की पूरी राशि के लिए नियोक्ता और ठेकेदार (पूर्व का नाम पॉलिसी में पहले स्थान पर रखा जा रहा है) के संयुक्त नाम पर एक कार्यालय के साथ आग से नुकसान या क्षति के खिलाफ कार्यों के आभासी समापन तक उनका बीमा करेगा। ऐसी पॉलिसी केवल "नियोक्ता" की संपत्ति को कवर करेगी। ठेकेदार काम सौंपने के दिन से चौदह दिनों के भीतर नियोक्ता के पास प्रीमियम के लिए पॉलिसी और रसीदें जमा करेगा। ठेकेदार की चूक में, जैसा कि ऊपर प्रदान किया गया है, बीमा करते हुए, नियोक्ता कार्यों का बीमा कर सकता है और इस तरह के चूक के संबंध में नियोक्ता के अन्य अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी देय धन से भुगतान किए गए प्रीमियम में कटौती कर सकता है या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है। यदि कार्यों को निलंबित करना आवश्यक हो जाता है, तो ठेकेदार जैसे ही पॉलिसी के तहत दावा निपटा जाता है, या बीमा कार्यालय द्वारा बहाल किए गए कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, यदि वे ऐसा करने का चुनाव करते हैं, तो कार्यों को पूरा करने के साथ उसी तरह से सभी उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ें जैसे कि आग नहीं लगी थी और सभी मामलों में अनुबंध की समान शर्तों के तहत। आग लगने के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में ठेकेदार पूरा होने के लिए समय के ऐसे विस्तार का हकदार होगा जैसा कि उचित समझे।

26. **प्रारंभ और पूरा होने की तिथि:** ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "प्रारंभ की तिथि" पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, या प्रत्येक बाद की तारीख के रूप में नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसके बाद और तुरंत काम शुरू करेगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और इसे पूरा करेगा (इस तरह की पेंटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर जैसा कि बैंक देरी करना चाहता है) या "पूरा होने की तारीख" में बताए गए "पूरा होने की तारीख" से पहले इसके बाद समय बढ़ाने के उपबंधों के अधीन परिशिष्ट में शामिल है।
27. **पूरा न होने पर नुकसान:** यदि ठेकेदार परिशिष्ट में बताई गई तारीख तक या खंड 26 और 20 के तहत किसी भी विस्तारित समय के भीतर कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को उस अवधि के लिए परिशिष्ट में नामित राशि का भुगतान करेगा जिसके दौरान उक्त कार्य अधूरे रहेंगे और नियोक्ता ठेकेदार के कारण किसी भी धन से इस तरह के नुकसान की कटौती कर सकता है।
28. **देरी और समय का विस्तार:** यदि नियोक्ता की राय में कार्यों में देरी हो रही है (ए) बल द्वारा प्रमुख या (बी) किसी भी असाधारण रूप से खराब मौसम के कारण या (सी) ठेकेदार के स्वयं के डिफॉल्ट के अलावा अन्यथा उत्पन्न होने वाले आसन्न या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ की गई कार्यवाही या विवाद के कारण या (डी) नियोक्ता द्वारा लगे या नामांकित अन्य ठेकेदार या ट्रेड्समैन के कार्यों या देरी से और मात्रा और/या विनिर्देशों की अनुसूची में संदर्भित नहीं किया गया है या (ई) इसके खंड 17 के अनुसार बैंक के इंजीनियर निर्देश के कारणों से, (च) सिविल हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण किसी भी भवन व्यापार को प्रभावित करने या (छ) ठेकेदार को नियत समय में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य से ऐसे कारण जिन्हें बैंक ठेकेदार के नियंत्रण से परे प्रमाणित कर सकता है या (I) यदि कार्य का मूल्य भिन्नता के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो बैंक पूरा होने के लिए समय का उचित और उचित विस्तार कर सकता है, जैसे ही बैंक को लिखित सूचना दी जा सकती है, लेकिन ठेकेदार फिर भी देरी को रोकने के लिए अपने प्रयासों का लगातार उपयोग करेगा और करेगा वह सब जो काम के साथ आगे बढ़ने के लिए बैंक की संतुष्टि के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है।
29. **नियोक्ता के निर्देश का पालन करने में ठेकेदार की विफलता:** यदि 10 दिनों के भीतर अनुपालन की आवश्यकता वाले नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के बाद ठेकेदार इस तरह के आगे के आरेखों और/या बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित और भुगतान कर सकता है, जो कि उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और उसके संबंध में की गई सभी लागतें नियोक्ता द्वारा ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल की जाएंगी या ठेकेदार के कारण किसी भी धन से उसके द्वारा काटी जा सकती हैं।
30. **नियोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति:** यदि ठेकेदार एक व्यक्ति या फर्म होने के नाते कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या उसे दिवालिया घोषित किया जाएगा या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन के लिए एक आदेश होगा या स्वेच्छा से समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित करेगा या दिवालियापन या समापन के ऐसे कृत्यों में अदालत और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जैसा भी मामला हो, उसे नोटिस के सात दिनों के भीतर असमर्थ हो जाएगा, जिसमें उसे ऐसा करने की आवश्यकता होती है, वास्तुकार की उचित संतुष्टि दिखाने के लिए कि वह अनुबंध को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और इसलिए सुरक्षा देने के लिए, यदि वास्तुकार द्वारा आवश्यक हो।
या यदि ठेकेदार (चाहे कोई व्यक्ति, पहली या निगमित कंपनी ठेकेदार के खिलाफ जारी की जाने वाली संपत्ति को निष्पादन या अदालत की कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

या इस अनुबंध के तहत ठेकेदारों के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से किसी भी भुगतान को भुगताना होगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को सबलेट करने के लिए असाइन करेगा जो पहले था और प्राप्त किया गया था।

या इस अनुबंध या किसी भी भुगतान को चार्ज या भारित करेगा या जो ठेकेदार के कारण हो सकता है।

- (i) अनुबंध को छोड़ दिया है, या
- (ii) कार्य शुरू करने में विफल रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी वैध बहाने के कार्य की प्रगति को बैंक से आगे बढ़ने के लिए नोटिस प्राप्त करने के बाद चौदह दिनों के लिए निलंबित कर दिया है या
- (iii) इस तरह के उचित परिश्रम के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा है और ऐसी उचित प्रगति करने में विफल रहा है जिससे कार्यों को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या
- (iv) साइट से सामग्री को हटाने या सात दिनों के लिए काम को नीचे खींचने और बदलने में विफल रहा है, बैंक से लिखित सूचना प्राप्त करता है कि उक्त सामग्री या कार्य की इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था' या
- (v) अनुबंध द्वारा किसी भी कार्य, मामले या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए ठेकेदार द्वारा सात दिनों के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों, मामलों या चीजों को देखने और निष्पादित करने के लिए लगातार उपेक्षित या विफल रहा है, ठेकेदार को लिखित नोटिस के बाद ठेकेदार को दिया गया होगा कि ठेकेदार को उसी का निरीक्षण करने या प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी।

तब और उक्त मामलों में से किसी भी मामले में, नियोक्ता, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, ठेकेदार को लिखित रूप में सात दिनों का नोटिस देने के बाद, अनुबंध का निर्धारण कर सकता है, जो पूरी तरह से लागू रहेगा जैसे कि अनुबंध इस तरह से निर्धारित नहीं किया गया है, और इसलिए यदि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया था। और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या नौकरों द्वारा परिसर या आस-पास की भूमि या सड़कों पर पड़े कार्यों और सभी संयंत्रों, उपकरणों, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के बर्तनों और सामग्रियों में प्रवेश कर सकता है और उन पर कब्जा कर सकता है, और अपनी संपत्ति के रूप में इसका उपयोग कर सकता है या अपने स्वयं के नौकरों और श्रमिकों के माध्यम से काम को पूरा करने और पूरा करने में या किसी अन्य को नियोजित करके नियोजित कर सकता है ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने के लिए, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पूरा करने और खत्म करने या कार्यों के लिए सामग्री और संयंत्र का उपयोग करने के लिए नियोजित व्यक्तियों को रोकने या बाधित करने के लिए कोई कार्य या कार्य नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधाजनक हो सके, बैंक ठेकेदार को अपनी अधिशेष सामग्री और संयंत्र को हटाने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस देगा, और यदि ठेकेदार उसके द्वारा प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता इसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और वसूली गई शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दें। इसके बाद नियोक्ता अपने हाथ में लिखित रूप में यह पता लगाएगा और प्रमाणित करेगा कि उक्त संयंत्र और सामग्री के बारे में क्या है, जो इस प्रकार लिया गया है, या नियोक्ता द्वारा लिया गया है और नियोक्ता को पूरा किए जाने वाले कार्यों की खरीद में कितना खर्च या नुकसान होगा, और राशि। यदि कोई हो, ठेकेदार और इस प्रकार प्रमाणित की जाने वाली राशि का भुगतान नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को या ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और बैंक का प्रमाण पत्र पार्टियों के बीच अंतिम और निर्णायक होगा।

31. **ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति:** यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाण पत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का यह भुगतान बकाया होगा और लिखित रूप में नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए अवैतनिक होगा, जैसा कि पूर्वोक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया होगा, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी भी प्रमाण पत्र

के मुद्दे में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता अनुबंध को अस्वीकार कर देगा, या यदि वास्तुकार या नियोक्ता के आदेश के तहत या कानून की किसी भी अदालत के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश द्वारा काम बंद कर दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में भी ठेकेदार नियोक्ता को लिखित रूप में नोटिस द्वारा अनुबंध का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से पुनर्प्राप्त करने का हकदार होगा, निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और किसी भी नुकसान के लिए वह किसी भी संयंत्र या सामग्री की आपूर्ति या खरीदी गई या उद्देश्य या अनुबंध के लिए तैयार किया जा सकता है।

इस तरह के भुगतान की राशि पर पहुंचने में, ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का पालन किया जाएगा, या जहां यह लागू नहीं हो सकता है, मूल्यांकन इसके खंड 17 के अनुसार किया जाएगा।

32. **प्रमाण पत्र और भुगतान:** ठेकेदार को समय-समय पर नियोक्ता द्वारा अंतरिम प्रमाण पत्र के तहत किस्तों द्वारा भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी किए जाने वाले कार्यों के कारण परिशिष्ट में नामित अनुमानित मूल्य के लिए परिशिष्ट में नामित 'अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का मूल्य' के रूप में इस अनुबंध के अनुसार निष्पादित किया गया है, हालांकि, परिशिष्ट में "कुल प्रतिधारण धन" के रूप में नामित इस तरह के मूल्य के प्रतिशत को बनाए रखने के अधीन, जिसके बाद किश्तें बाद में निष्पादित और भवन में तय किए गए कार्य के पूर्ण मूल्य तक होंगी। और जब कार्य वस्तुतः पूरा हो जाता है, तो ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा बैंक के इंजीनियरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के अनुसार भुगतान किया जाएगा, परिशिष्ट में नामित धन की राशि "वर्चुअल पूर्णता के बाद किस्त" उक्त कुल प्रतिधारण राशि का एक हिस्सा होने के नाते। और ठेकेदार अंतिम प्रमाण पत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि के भुगतान का हकदार होगा, जिसे परिशिष्ट में 'दोष देयता अवधि' के रूप में संदर्भित किया गया है, आभासी समापन की तारीख से या ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद जैसे ही कार्य अंतिम रूप से पूरा हो गया होगा और सभी दोषों को सही इरादे और अर्थ के अनुसार अच्छा किया जाएगा, जो भी अंतिम होगा हमेशा या उनके पूरा होने के बाद ठेकेदार को खंड 21 और 36 के तहत उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और न ही ठेकेदार को कार्यों या सामग्रियों से संबंधित धोखाधड़ी, बेईमानी, या धोखाधड़ी के मामलों में या प्रमाण पत्र में निपटाए गए किसी भी मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में और कार्यों या सामग्रियों में सभी दोषों और अपर्याप्तताओं के मामले में ठेकेदार को राहत नहीं मिलेगी।

नियोक्ता के पास किसी भी प्रमाण पत्र को रोकने की शक्ति होगी यदि कार्य या उसके कोई भाग उसकी संतुष्टि के लिए नहीं किए जा रहे हैं।

33. **विलंबित भुगतान:** नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में 'प्रमाण पत्र का सम्मान करने की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर" के रूप में ब्याज ले जाएगा, जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा भुगतान तक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।
34. खंड 2 (ए, बी), 4, 5, 14, 20 (ए, बी, सी, डी और एफ) के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश प्रमाण पत्र (जो मामले यहां अपवाद मामलों के रूप में संदर्भित हैं) अंतिम और निर्णायक और इसके पक्षों पर बाध्यकारी होंगे और अपील के बिना होंगे। कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, खंड के तहत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा 35 सभी मामलों में उसी तरह (संदर्भ खोलने के प्रावधानों सहित)।
35. **मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा:** किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध से उत्पन्न होते हैं या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) को बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता

है। किसी भी अपवाद के मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि इसके खंड 3.34 में कहा गया है। लेकिन यदि या तो ठेकेदार किसी ऐसे मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त के रूप में निर्णय लिया गया है, किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि विवाद में मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना उन मामलों को निर्दिष्ट करेगी, जो विवाद या मतभेद में हैं जिनमें से ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाण पत्र को खोलने और संशोधित करने की शक्ति होगी, राय, निर्णय, मांग या नोटिस, अपवाद के मामलों के संबंध में छोड़कर, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और विवाद के सभी मामलों को निर्धारित करने के लिए जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से नोटिस पूर्वोक्त के रूप में दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, एक वर्ष के भीतर अपना या अपना पुरस्कार देगा (या इस तरह के आगे विस्तारित समय के रूप में उसके द्वारा या उनके द्वारा तय किया जा सकता है, जैसा कि मामला पार्टियों की सहमति से हो सकता है) संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पार्टियां आपसी रूप से अपने विवाद या अंतर को सुलझाती हैं या समझौता करती हैं, पार्टियों द्वारा निपटान या समझौते का अपना संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर, मध्यस्थ या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, इस तरह के समझौते या समझौते के संदर्भ में एक पुरस्कार देगा।

इस तरह के किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक में होगा, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकता है या पार्टी और पार्टी के बीच कर लगाने के लिए निर्देशित कर सकता है, और किसके द्वारा और किसके द्वारा और किस तरीके से इसे वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

इस सबमिशन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए एक प्रस्तुति माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक संचालन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार एतद्वारा इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त होगी।

36. अंतिम विधेयक की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ता को अंतिम बिल के भुगतान के समय किए जाने वाले सभी सहायक वाउचर, सार आदि सहित कार्यों की तकनीकी जांच और ठेकेदार के अंतिम बिल की जांच करने का अधिकार होगा। यदि अन्यथा इस परीक्षा के परिणामस्वरूप किसी भी राशि को अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाया जाता है, तो नियोक्ता के लिए राशि की वसूली करना वैध होगा।

37. नियोक्ता कामगार को भुगतान किए गए मुआवजे को कवर करने का हकदार है

यदि, किसी भी कारण से, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के आधार पर, या किसी सांविधिक संशोधन या उसके पुन अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजे का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तो नियोक्ता ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का हकदार होगा। और उक्त अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। नियोक्ता ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि से घटाकर वसूलने के लिए स्वतंत्र होगा, ठेकेदार के लिखित अनुरोध को छोड़कर और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूरी सुरक्षा देने के अलावा उक्त अधिनियम के तहत इसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसके लिए नियोक्ता हो सकता है इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी बनना।

38. कार्यों का परित्याग

यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय, नियोक्ता को किसी भी कारण से पूरे या किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसके पास मुआवजे के किसी भी भुगतान का कोई दावा नहीं होगा या किसी भी लाभ या लाभ के कारण जो भी वह पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

39. अधिशेष सामग्री की वापसी

इस संपर्क के किसी भी या सभी खंडों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जहां अनुबंध के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या परमिट या लाइसेंस के तहत की गई खरीद द्वारा खरीदी जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्री को आर्थिक रूप से और पूरी तरह से अनुबंध के उद्देश्य के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति और वापसी के बिना उनका निपटान नहीं करेगा यह नियोक्ता को, यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो सामग्री की शर्तों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर, निर्धारित की जाने वाली कीमत बिक्री कर, चुंगी और उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए, उपरोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, सभी पैसे, लाभ या मुनाफे के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप या जो सामान्य पाठ्यक्रम में इस तरह के उल्लंघन के कारण उसके परिणामस्वरूप हुआ होगा।

40. ठेकेदार या व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का नियोक्ता का अधिकार

इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति होने के नाते, मर जाता है, तो नियोक्ता के पास इस तरह की समाप्ति के लिए कोई दायित्व उठाए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

41. गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता

नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

42. यौन उत्पीड़न खंड

- a. ठेकेदार " महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/एजेंसी और ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी।
 - b. बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक में काम करने वाली किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
 - c. ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे ठेकेदार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।
 - d. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
 - e. ठेकेदार अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।
43. खंड 41 और 42 एएमसी के दौरान भी समझौते का हिस्सा होंगे।

44. **अप्रत्याशित घटना:** यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से परे किसी घटना की घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है (जैसे कि ईश्वर के कार्य, युद्ध जैसी स्थितियां, दंगे, श्रम हड़ताल, सरकारी कार्रवाई, भूकंप, चक्रवात, आंधी, और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, आदि), तो उस पक्ष को इस समझौते के तहत चूक नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष इस समझौते के तहत प्रदर्शन को जारी रखने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि किसी अप्रत्याशित घटना के कारण गैर-प्रदर्शन की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जिस पार्टी को प्रदर्शन करने की क्षमता इतनी प्रभावित नहीं हुई है, वह लिखित सूचना देकर, इस समझौते को समाप्त कर सकता है

45. जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से डाला गया, उसके बाद जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहरबंद और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन / घोषणा / प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं, तो उसकी / उसकी निविदा/कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना धन जमा / प्रदर्शन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से बोलीदाता को भी रोक सकता है

मैं/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों को समझ लिया है और वे मुझे/हमें स्वीकार्य हैं।

स्थान
दिनांक

ठेकेदार के मुहर और हस्ताक्षर

परिशिष्ट यहां संदर्भित किया गया है

1.	दोष देयता अवधि	सत्यभाषी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 12 महीने।
2.	अंतिम माप की अवधि	अंतिम कमीशनिंग की तारीख से 3 महीने।
3.	प्रारंभ होने की तिथि	कार्य आदेश की तारीख से 14 वां दिन
4.	पूरा होने की अवधि	कार्य आदेश के 14वें दिन से 75 दिन
5.	परिसमापन क्षति	विलंब के प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का 0.25% अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधधीन।
6.	अंतरिम प्रमाण पत्र के लिए काम का मूल्य	अनुबंध मूल्य का 50%
7.	बिल का सम्मान करने की अवधि	आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद अंतरिम बिल के लिए 1 महीने और अंतिम माप और बिल जमा करने की तारीख से अंतिम बिल के लिए 3 महीने का समय

स्थान

दिनांक

ठेकेदार के मुहर और हस्ताक्षर

खंड VI**वाणिज्यिक चेकलिस्ट**

क्रम सं	विवरण	बैंक की शर्तें	निविदाकर्ता को स्वीकार्य है या नहीं (हाँ या नहीं इंगित करें)
1.	वैधता	भाग I खोलने की तारीख से 90 दिन।	
2.	ईएमडी	48,800/- रुपये	
3.	कीमतें	अनुबंध की पूरी अवधि के लिए दृढ़ रहेगा।	
4.	पूरा होने की अवधि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 14वें दिन से 75 दिन।	
5.	कार्य पूरा होने में विलंब के लिए परिसमापन क्षति	प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का 0.25% अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अध्यक्षीन।	
6	दोष देयता अवधि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से 12 महीने।	
7	डीएलपी/वारंटी अवधि के दौरान जुर्माना	निविदा के भाग I के खंड 3.18 के अनुसार	
8	व्यापक एएमसी	डीएलपी के एक वर्ष के 9 वर्ष बाद	
9	भुगतान की शर्तें	निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार	
10	सुरक्षा-कवच	के लिए शामिल किया जाएगा 1. ठेकेदार सभी जोखिम नीति। 2. कामगार मुआवजा नीति और 3. नियम और शर्तों के अनुसार थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी	
11	साइट का दौरा	विक्रेता अपनी दरों का उल्लेख करने से पहले साइट का दौरा करेगा। मूल्य बोली खोलने के बाद कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।	
14	प्रतिधारण धन	धारा 3.12 के अनुसार	
15.	कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी	धारा 3.12 के अनुसार	

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

खंड- VII

तकनीकी विनिर्देश/बैंक की आवश्यकताएं

6 (ए) कार्य का दायरा:

6.	बैंक की आवश्यकता/सटीक एसी की विशिष्टता/कार्य का दायरा:
6.1	पृष्ठभूमि: बैंक आईपीसीसीटीवी सर्वर रूम के अंदर मौजूदा 2x3.5 टीआर सटीक एयर कंडीशनर को नए के साथ बदलने का इरादा रखता है, जिसे सर्वर रूम के लिए वर्ष भर 20 °C ± 1 °C और RH = (50 ± 5)% की अंदर की स्थितियों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा
6.2	3.5 टीआर प्रेसिजन एसी की आवश्यकता विवरण 1. प्रकार: फर्श घुड़सवार, नीचे निर्वहन 2. टन भार: 3.5 टीआर न्यूनतम 3. न्यूनतम 3.5 टीआर की दो इकाइयाँ (दो सर्वर रूम में) होनी चाहिए यानी दोनों को बारी-बारी से काम करना चाहिए यानी एक समय में एक यूनिट का काम करना चाहिए। (1+1) अतिरेक। 24 घंटे का कर्तव्य चक्र होना। डाउन डिस्चार्ज 4. आउटडोर यूनिट 48 डिग्री सेल्सियस के उच्च परिवेश के तापमान और इनडोर तापमान यानी 20 डिग्री सेल्सियस ± 1% के सर्वर रूम के अंदर के लिए उपयुक्त आकार की होगी। 5. सर्वर रूम के अंदर सापेक्ष आर्द्रता 50% ± 5% के बीच बनाए रखी जानी चाहिए। 6. प्रेसिजन एसी का स्वीकृत निर्माण: वर्टिव लिबर्ट, इमर्सन, श्राइडर यूनिफ्लेयर, स्वेगन ब्लू बॉक्स, स्टुलज़, क्लाइमावेनेटा, फ्लैक्ट समूह।
6.3	i) यूनिट में निम्नलिखित अलार्म होने चाहिए: पानी का रिसाव, तापमान उच्च / सेंसर की हानि, कंप्रेसर उच्च / निम्न दबाव, कोई वायु प्रवाह, कम ह्यूमिडिफायर पानी, तापमान उच्च / निम्न, आर्द्रता उच्च / निम्न। ii) इकाइयों में निम्नलिखित सुरक्षा सुरक्षा होनी चाहिए: a) एकल चरणबद्ध निवारक। बी) रिवर्स फेजिंग सी) फेज अनबैलेंसिंग डी) फेज फेलियर ई) सभी घटकों की ओवरलोड ट्रिपिंग (एमपीसीबी) च) वेट फ्लोर सेंसर सेफ्टी इंटरलॉक: हीटर और ह्यूमिडिफायर का संचालन तभी संभव होगा जब ब्लोअर फैन चालू हो। iii) अनुक्रमण: अनुक्रमण पीएसी इकाइयों की विशेषता होनी चाहिए। इकाइयों को समान संख्या में रन घंटों के लिए काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, साथ ही गलती के मामले में स्टैंडबाय यूनिट शुरू होनी चाहिए। यूनिट में उपयोगकर्ता के अनुकूल मेनू और पासवर्ड सुरक्षा के साथ नियंत्रक पर एक बड़ी स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बीएमएस संगतता के लिए इंटरफ़ेस पोर्ट होना चाहिए।
6.3	काम का दायरा ठेकेदार के कार्य के दायरे में इन विनिर्देशों, अनुबंध के नियमों और शर्तों आदि के अनुसार कार्य की सभी मंदां शामिल होंगी, जैसा कि मात्रा की अनुसूची में संक्षेप में वर्णित है। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे: ए) निम्नलिखित की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और सफलतापूर्वक कमीशनिंग a. सटीक एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ (इंडोर कूलिंग यूनिट और एयर-कूल्ड आउटडोर कंडेनसिंग यूनिट) मोटर्स और ड्राइव, आउटडोर स्टैंड, इनडोर स्टैंड आदि के साथ। b. कॉपर पाइप, रेफ्रिजेंट पाइपिंग के लिए इन्सुलेशन, पावर केबल इनडोर टू आउटडोर यूनिट, नाइट्रोजन दबाव परीक्षण और रेफ्रिजेंट का प्रारंभिक प्रभार।

	c. आउटडोर कंडेनसिंग यूनिट, इनडोर कूलिंग यूनिट और अन्य उपकरणों को माउंट करने के लिए फाउंडेशन बोल्ट, ग्राउटिंग, वाइब्रेशन आइसोलेटर्स, बेस फ्रेम्स आदि। d. बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार आउटडोर/इनडोर यूनिट के पास एक बिंदु पर 3 फेज, 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी की बिजली आपूर्ति और अर्थिंग प्रदान की जाएगी। केबलिंग, केबल ट्रे आदि सहित आगे का वितरण प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग बोलीदाता के दायरे में होगा। e. सटीक इकाई के लिए जल आपूर्ति बिंदु बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। f. कॉपर पाइपिंग केबल आदि के साथ पुराने सटीक एयर कंडीशनर को हटाना और उन्हें बायबैक के रूप में ले जाना बी) अन्य गतिविधियाँ: a. संपूर्ण प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग स्थापना का एयर बैलेंसिंग। b. सभी लघु चिनाई, बढ़ईगरी और सिविल कार्य जैसे चिनाई वाली दीवारों में कटिंग ओपनिंग, आंतरिक विभाजन, आरसीसी स्लैब आदि पाइप और केबल के लिए और उन्हें मौजूदा कार्यों/सजावट से मेल खाने के लिए अच्छा बनाना बोलीदाता द्वारा किया जाएगा, जहां भी प्रभारी इंजीनियर द्वारा कहा जाएगा। c. विशेष रूप से बहिष्कृत कार्यों को छोड़कर विनिर्देशों, रेखाचित्रों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपरोक्त मदों से संबद्ध अन्य सभी कार्य। d. यूनिट से ड्रेन पाइप नाबदान तक और ह्यूमिडिफायर पाइपिंग प्रदान करना और बिछाना। e. साइट की सफाई और कार्यों को सौंपना। f. संपूर्ण प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग स्थापना के लिए परीक्षण रिपोर्ट, संचालन और रखरखाव मैनुअल। g. मालिक के कर्मचारियों का प्रशिक्षण। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सटीक एसी की सफल स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामानों की सटीक लंबाई और मात्रा का पता लगाने के लिए साइट का दौरा करें।
--	--

6.4 कैबिनेट निर्माण: इकाई 1/2 "(या 10 मिमी) इन्सुलेशन के साथ पाउडर पेंट पैनल होगी। एक टिका हुआ नियंत्रण अभिगम कक्ष एक दूसरे फ्रंट पैनल पर खुलता है जो उच्च वोल्टेज घटकों के लिए एक सुरक्षा संलग्नक है। जंग से बचाने के लिए फ्रेम को पाउडर कोट फिनिश से रंगा गया है। इकाई किसी भी घटक को हटाने सहित पूरी तरह से आगे और पीछे सुलभ होगी। इनडोर यूनिट जिसमें साइड पैनल डबल स्किन्ड के साथ फाइबर ग्लास / क्लास-'ओ' नाइट्राइल रबर इन्सुलेशन के अंदर है।

6.5 प्रशीतन सर्किट

प्रशीतन प्रणाली **प्रत्यक्ष विस्तार प्रकार** की होगी और इसमें एक या एक से अधिक भली भांति बंद इन्वर्टर / डिजिटल स्कॉल कम्प्रेसर शामिल होंगे, जिसमें स्वतंत्र बाष्पीकरणकर्ता कॉइल सर्किट और बाहरी इकाई होगी, जो क्रैंककेस हीटर के साथ पूरा होगा। कंप्रेसर्स आवश्यक सुरक्षा उपकरणों और वाल्वों के साथ पूर्ण होंगे। सिस्टम में ऑटो रीसेट एचपी कंट्रोल और एलपी स्विच, फिल्टर ड्रायर, ऑटो रीसेट कम तापमान स्विच, बाहरी रूप से बराबर इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व, उच्च संवेदनशीलता रेफ्रिजरेंट दृष्टि ग्लास, बड़ी क्षमता वाले फिल्टर ड्रायर और प्रत्येक सर्किट में चार्जिंग / एक्सेस पोर्ट शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, स्टार्ट/स्टॉप चक्र के दौरान कंप्रेसर कंपन के कारण किसी भी रिसाव की संभावना को कम करने के लिए सिस्टम को कंप्रेसर पाइपिंग के सक्शन और डिस्चार्ज पक्ष पर कंपन अवशोषक प्रदान किया जाना चाहिए; यह कम्प्रेसर के लिए प्रदान किए गए एंटी-वाइब्रेशन माउंट के अतिरिक्त होना चाहिए।

6.6 बाष्पीकरणकर्ता कायल (डीएक्स):

बाष्पीकरणकर्ता कॉइल का निर्माण राइफल बोर कॉपर ट्यूबों और लौवर एल्यूमीनियम पंखों से किया जाएगा, जिसमें एल्यूमीनियम/जीआई फ्रेम समान वायु वितरण के पक्ष में होगा। कॉइल सीधे/तिरछे कॉइल कॉन्फिगरेशन होना चाहिए और जंग से बचने के लिए पाउडर कोटिंग के साथ भारी गेज स्टील से ड्रिप ट्रे का निर्माण किया जाना चाहिए। ड्रिप ट्रे को घनीभूत प्रवाह के लिए डबल कोण होना चाहिए और सफाई के लिए आसानी से हटाने योग्य होना चाहिए। कूलिंग कॉइल उपयुक्त पंक्तियों की गहरी होनी चाहिए और उच्च समझदार शीतलन के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। बाष्पीकरणकर्ता नाली ट्रे में घनीभूत हटाने के लिए डबल ढलान वाले गटर शामिल होंगे।

6.7 कंप्रेसर:

कंप्रेसर उच्च दक्षता वाले **वेरिबल स्पीड इन्वर्टर/डिजिटल स्क्रॉल डिज़ाइन** के होंगे। प्रत्येक कंप्रेसर में इन-बिल्ट ओवरलोड प्रोटेक्शन, एचपी और एलपी कंट्रोलर होंगे और वाइब्रेशन आइसोलेटर्स पर लगे होंगे। कंप्रेसर निर्माता मानक के अनुसार आवश्यक क्षमता का सिंगल/डबल हो सकता है।

6.8 कंपन अवशोषक:

- कंप्रेसर के स्टार्ट/स्टॉप चक्र के दौरान उच्च दबाव वाली तांबे की पाइपलाइनों पर दरारों को रोकने के लिए सभी इकाइयों में कंप्रेसर सक्शन और डिस्चार्ज लाइनों में कंपन अवशोषक होना चाहिए।

6.9 पावर मॉनिटरिंग स्विच

- सभी इकाइयों को आने वाली बिजली आपूर्ति के वोल्टेज / ओवर वोल्टेज / चरण उत्क्रमण के तहत निगरानी के लिए सीई प्रमाणित मुख्य पावर लाइन पर्यवेक्षक स्विच के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। विद्युत पैनल में एक सामान्य बिजली निगरानी उपकरण का प्रावधान स्वीकार्य नहीं होगा। प्रदान किया गया स्विच प्रतिष्ठित होना चाहिए और यूरोपीय संघ के मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।

6.10 पंखा और मोटर:

यूनिट को सीधे ड्राइव बैकवर्ड घुमावदार प्रशंसकों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, प्रत्येक डीसी ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचारित (ईसी) मोटर्स के साथ चल रहा है, प्रशंसकों को संरेखित किया जाना चाहिए और स्थिर और गतिशील रूप से संतुलित किया जाना चाहिए। पंखे की गति को कमरे की वापसी हवा के तापमान के आधार पर नियंत्रित किया जाना चाहिए और मैनुअल हस्तक्षेप के बिना स्वचालित गति नियंत्रण होना चाहिए। इकाइयों को धारा 15071, मैकेनिकल साउंड और वाइब्रेशन कंट्रोल के अनुसार संतुलित किया जाएगा। केवल प्रत्यक्ष ड्राइव प्रशंसकों की पेशकश की इकाइयों और बेल्ट ड्राइव के साथ केन्द्रापसारक प्रशंसकों में प्रदान किया जाना सख्ती से स्वीकार्य नहीं है।

6.11 अभिगम्यता: सेवा क्षेत्र:

- यूनिट को सामने से एक्सेस किया जाएगा जो स्थापना उद्देश्यों और नियमित सर्विसिंग के लिए मशीन के सभी मुख्य घटकों को सामने से एक्सेस करने में सक्षम होगा।
- यूनिट 1 मीटर की अधिकतम सेवा स्थान के साथ सामने से सेवा योग्य होगी।

6.12 आर्द्रिकरण:

- आर्द्रता नियंत्रण इन्फ्रारेड ह्यूमिडिफायर या इलेक्ट्रोड (प्रतिरोधक) ह्यूमिडिफायर का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।
- ह्यूमिडिफायर ऑपरेशन में समय-समय पर फ्लशिंग चक्र होना चाहिए। ह्यूमिडिफायर को कम ऊर्जा खपत और घटकों के अधिक स्थायित्व के साथ एक पूर्ण दक्षता की गारंटी देनी चाहिए।
- इलेक्ट्रोड-आधारित आर्द्रिकरण के मामले में, ह्यूमिडिफायर बदली इलेक्ट्रोड के साथ पूरी तरह से सेवा योग्य होगा और उपभोग्य सामग्रियों की लागत ठेकेदार द्वारा उद्धृत की जाने वाली व्यापक वार्षिक रखरखाव लागत में शामिल की जाएगी।

6.13 डी-आर्द्रिकरण:

- कमरे के कमरे के मापदंडों को पूरा करने के लिए इकाइयों में एक इनबिल्ट डीह्यूमिडिफायर प्रदान किया जाएगा। ओईएम मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष शीतलन कॉइल या समर्पित डीह्यूमिडिफायर का उपयोग करके स्वचालित रूप से नमी हटाने के लिए सेंसर का उपयोग करके डी-आर्द्रिकरण अधिमानतः प्राप्त किया जा सकता है। वातानुकूलित स्थान में लगातार वायु वितरण सुनिश्चित करने के लिए यूनिट का पूर्ण वायु प्रवाह हमेशा बनाए रखा जाएगा। डीह्यूमिडिफायर में ऑटो ड्रेन और स्टीम सप्लाई और वाटर ड्रेन होज़ पाइप के साथ पूर्ण क्षमता के लिए अनुपातिक नियंत्रण का कार्य होगा।

6.14 निस्पंदन

- निस्पंदन स्तर 90% - 10 माइक्रोन का होना चाहिए। फिल्टर एचडीपीई मीडिया/नायलॉन फिल्टर और धोने योग्य प्रकार का होना चाहिए। दहनशील / सूखे डिस्पोजेबल मीडिया के साथ फिल्टर सख्ती से स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

6.15 विद्युत पैनल नियंत्रण कैबिनेट प्रदान किया जाना है और टाइप 2 संलग्नक, ग्राउंडिंग लग के साथ, अधिभार रिले के साथ संयोजन चुंबकीय स्टार्टर, सर्किट ब्रेकर और कवर इंटरलॉक, और फ्यूज़िबल कंट्रोल सर्किट ट्रांसफार्मर।

- **सुरक्षा**- यूनिट के लिए प्रदान किए गए इलेक्ट्रिक पैनल को मुख्य इनकमिंग पावर आइसोलेशन स्विच से लैस किया जाना चाहिए, इसके अलावा यूनिट को अंडर वोल्टेज/ओवर वोल्टेज/फेज रिवर्सल/सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन/ओवरकरंट प्रदान किया जाना चाहिए। विद्युत पैनल को सामान्य अलार्म के लिए रिले ब्लॉक भी प्रदान करना चाहिए।

6.15 एयर कूल्ड कंडेनसर

- कंडेनसर को (+/-) 5 सी से 45 सी परिवेश ° की ऑपरेटिंग रेंज प्रदान करने के लिए कारखाने का मिलान किया जाएगा। कंडेनसर 24 घंटे के संचालन के लिए उपयुक्त होंगे और ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज निर्वहन प्रदान करने में सक्षम होंगे।

- कंडेनसर फ्रेम का निर्माण जंग से बचने के लिए पाउडर कोटिंग के साथ भारी शुल्क स्टील से किया जाएगा और यांत्रिक रूप से बंधुआ एल्यूमीनियम पंखों के साथ एक विशेष माइक्रोचैनल कॉइल या कॉपर ट्यूब को शामिल किया जाएगा।

- कॉइल का डिज़ाइन निर्माता मानकों के अनुसार होगा ताकि रेफ्रिजेंट दबाव में गिरावट को कम किया जा सके और पूरे सतह क्षेत्र में उच्च दबाव वाले रेफ्रिजेंट का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

- कंडेनसर पंखे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचारित किए जाएंगे, कम प्रोफ़ाइल, मौसमरोधी प्रकार जिसमें उच्च दक्षता, न्यूनतम शोर, नाममात्र एयरफ्लो दर प्रत्यक्ष ड्राइव, वायुगतिकीय रूप से अनुकूलित ब्लेड के साथ बाहरी रोटार मोटर्स शामिल होंगे।

- कंडेनसर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित पंखे की गति नियंत्रकों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, प्रशीतक दबाव निगरानी के आधार पर प्रशंसकों की गति को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

6.16 माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रक

एयर कंडीशनिंग मॉडल को माइक्रोप्रोसेसर-आधारित नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसे I/O के माध्यम से यूनिट के भीतर प्रत्येक डिवाइस के कार्य को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। डिस्प्ले और कंट्रोल बटन किसी भी बाहरी पैनल को हटाए बिना यूनिट के सामने से पहुंच योग्य होंगे।

नियंत्रक में पीसी के माध्यम से प्रोग्राम अपलोड का समर्थन करने के लिए आईएसपी (सिस्टम-प्रोग्रामिंग में) तकनीक की सुविधा होगी। नियंत्रक कमरे के मापदंडों की स्थापना और निगरानी की अनुमति देगा। यूनिट रैक द्वारा तापमान के प्रबंधन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए रैक इनलेट पर कई तापमान सेंसर का उपयोग करता है। नियंत्रण रणनीतियां सटीक तापमान और आर्द्रता नियंत्रण के लिए ओस बिंदु मुआवजे के साथ माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिफरेंशियल कंट्रोलर (पी-आई-डी) होंगी। आवेदन के अनुरूप वापसी या आपूर्ति वायु नियंत्रण का चयन प्रदान किया जाएगा। नियंत्रक के पास सहायक हेल्प स्क्रीन के साथ एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मेनू संचालित इंटरफ़ेस होगा और यह मल्टी-प्रोटोकॉल डेटा संचार का उपयोग करेगा। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए नियंत्रक सेटिंग्स तक पहुंच।

► नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित शर्तों की प्रोग्रामिंग की अनुमति देगी: -

- वापसी/आपूर्ति तापमान सेट बिंदु
- वापसी/आपूर्ति तापमान बैंड।
- आर्द्रता सेट बिंदु
- आर्द्रता बैंड

► नियंत्रक में निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए: -

- इकाई के नवीनतम घटना-संदेशों की स्थिति रिपोर्ट।
- कम और उच्च प्राथमिकता वाले अलार्म की सरल दूरस्थ निगरानी के लिए रिमोट ऑन-ऑफ और वोल्ट-फ्री संपर्कों के लिए इनपुट: उच्च / निम्न तापमान, उच्च / निम्न रेफ्रिजरेट दबाव, पंखा / नियंत्रण विफलता, कंप्रेसर / नियंत्रण विफलता।
- लैन प्रबंधन: मानक के रूप में प्रदान किए गए कार्यों में स्टैंड-बाय (संचालन में इकाई की विफलता के मामले में, दूसरा स्वचालित रूप से शुरू होता है), और स्वचालित रोटेशन शामिल हैं। LAN में कम से कम एक इकाई को कोल्ड फायर बड़े डिस्प्ले से लैस किया जाना चाहिए।
- बिजली की विफलता के बाद स्वचालित पुनरारंभ प्रदान किया जाता है।

► अलार्म: - माइक्रोप्रोसेसर निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति की स्थिति में एक श्रव्य, दृश्य और सामान्य अलार्म को सक्रिय करेगा।

- उच्च तापमान

- कम तापमान
- उच्च आर्द्रता
- कम आर्द्रता
- हवा का नुकसान
- कई कम्प्रेसर के मामले में प्रत्येक कंप्रेसर के लिए उच्च दबाव
- कई कम्प्रेसर के मामले में प्रत्येक कंप्रेसर के लिए कम दबाव
- ह्यूमिडिफायर कम पानी
- फर्श के नीचे पानी

इन अलार्मों में चयन योग्य नियंत्रण क्रिया सक्षम, अक्षम या बंद होनी चाहिए।

► इकाई में निम्नलिखित सुरक्षा भी शामिल होगी:

- एकल चरणबद्ध निवारक।
- रिवर्स फेजिंग
- चरण असंतुलन
- चरण विफलता
- सभी घटकों की अधिभार ट्रिपिंग
- ओवरवोल्टेज
- अंडरवोल्टेज
- पीटीसी हीटर

- हीटर और ह्यूमिडिफायर के संचालन के लिए सेफ्टी इंटरलॉक केवल तभी जब ब्लोअर फैन चालू हो

► अनुक्रमण: अनुक्रमण पीएसी इकाइयों की विशेषता होनी चाहिए। इकाइयों को समान रूप से चलने वाले घंटों के लिए काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इसके अलावा, इकाइयों में से एक में खराबी के मामले में, स्टैंडबाय यूनिट स्वचालित रूप से शुरू होनी चाहिए।

6.17 इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व-

यह OEM मानकों के अनुसार होना चाहिए जो उच्च दक्षता देने वाले रेफ्रिजरेंट प्रवाह के सटीक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए एक ही समय में तापमान और दबाव संकेत एकत्र कर सकता है।

6.19 रेफ्रिजरेंट- पीएसी इकाइयों में केवल पर्यावरण के अनुकूल रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाएगा।

उद्धृत मॉडल के विस्तृत तकनीकी विनिर्देश और ब्रोशर निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किए जाएंगे।

यदि कोई सामान, भाग, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, लेकिन काम पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, निविदाकर्ता के दायरे में हैं।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त विनिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर:

खंड VIII

विचलन (यदि कोई हो)

ए) वाणिज्यिक विचलन की अनुसूची

हम पुष्टि करते हैं कि नीचे सूचीबद्ध विचलन को छोड़कर बैंक के सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

क्रम संख्या	धारा सं.	खण्ड संख्या	विचलन प्रस्तावित
1	2	3	4

बी) बैंक की तकनीकी विशिष्टता से विचलन का विवरण

तकनीकी विनिर्देश की आवश्यकताओं से विचलन के विवरण निम्नलिखित हैं: -

क्रम सं.	धारा सं.	खण्ड संख्या	विचलन प्रस्तावित	टिप्पणियां (औचित्य सहित)
1	2	3		4

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

खंड IX
(ठेकेदार द्वारा भरा जाना है)
तकनीकी मापदंडों का विवरण

क्र सं	तकनीकी विनिर्देश	बोलीदाता द्वारा भरा जाने वाला आंकड़ा
1	प्रेसिजन एसी निर्माता का नाम	
2	मॉडल नं	
3	शुद्ध समझदार शीतलन क्षमता (वाट)	
4	विद्युत बिजली की खपत (वाट)	
5	नेट सेंसिटिव ईईआर (डब्ल्यू/डब्ल्यू)	
6	कंप्रेसर का प्रकार: (डिजिटल स्कॉल/इन्वर्टर स्कॉल)	
7	कंप्रेशर्स की संख्या	
8	रेफ्रिजरेट	
9	वायु परिसंचरण (m ³ /hr)	
10	शोर स्तर (इनडोर)	
11	शोर स्तर (आउटडोर)	
12	आयाम और वजन (इनडोर यूनिट)	
13	आयाम और वजन (बाहरी इकाई)	
14	ऑपरेटिंग परिवेश तापमान रेंज (चाहे -5 से 45 डिग्री सेल्सियस)	
15	क्या यूनिट सर्वर रूम में साल भर इनडोर वायु स्थितियों (20 °C ± 1 °C और RH ≤ 50%) को बनाए रखने में सक्षम हैं? (हाँ/नहीं)?	
16	क्या इकाइयाँ एक रनिंग और एक स्टैंडबाय मोड में समान संख्या के साथ काम करने में सक्षम हैं। दैनिक रन घंटों का?	

17	निर्माता डेटा शीट (ड्राइंग, तकनीकी डेटा, प्रदर्शन, सामान्य, यांत्रिक और विद्युत विशेषताओं सहित) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया? (हां नहीं)	
18	स्थापना और कमीशनिंग के लिए निर्माता मैनुअल प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया (हां/नहीं)	

(अलग शीट संलग्न हो सकती है)

- बैंक की आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए मॉडल के लिए ओईएम से तकनीकी विवरणिका संलग्न करने की आवश्यकता है।
- फर्मों द्वारा बिना किसी असफलता के तकनीकी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। डेटा प्रस्तुत नहीं करने वाली फर्म की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। 'निर्माता मानक के अनुसार', 'बाद में प्रस्तुत किया जाएगा', 'औचित्य डिजाइन के अनुसार' आदि जैसे उत्तरों पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे बोली के मूल्यांकन में मदद नहीं मिलेगी और निविदा को अधूरा माना जाएगा

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

खंड X
मात्रा का बिना कीमत वाला बिल

क्रम सं.	मद का विवरण	मात्रा		दर (₹)	राशि (₹)
1	माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रक, वेरिबल स्पीड इन्वर्टर / डिजिटल स्क्रॉल कंप्रेसर, डीएक्स बाष्पीकरणकर्ता, मोटर के साथ प्रत्यक्ष चालित इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्प्यूटेटेड (ईसी) पंखा, नीचे निर्वहन, पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन रेफ्रिजरेंट की प्रारंभिक चार्जिंग, 1 + 1 निरर्थक मोड (एक काम करने वाला और एक स्टैंडबाय) में चौबीसों घंटे संचालन करने में सक्षम और प्रदान करने के लिए उपयुक्त 45 डिग्री सेल्सियस तक के परिवेश के तापमान पर 20 +/- 1 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50+/- 5% सापेक्ष आर्द्रता की वांछित इनडोर स्थितियां।	2	संख्या		
2	कॉपर पाइपिंग: इंटरकनेक्टिंग और उपयुक्त आकार की आपूर्ति और बिछाने (ओईएम मानकों के अनुसार) विधिवत 9 मिमी नाइट्राइल रबर अलूता (यदि ओईएम दिशानिर्देशों के अनुसार लागू हो) कॉपर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग (तरल और गैस, डिस्चार्ज और सक्शन सहित) आवश्यक सामान के साथ इनडोर और आउटडोर इकाइयों के बीच, और मौजूदा स्टैंड आदि पर लगाए जाने वाले समर्थन (नोट: सक्शन और डिस्चार्ज पाइप को एक लंबाई के रूप में एक साथ मापा जाएगा)।	30	आरएम टी		
3	नियंत्रण केबल: लग्स और ग्रंथियों के साथ उपयुक्त टर्मिनेशन के साथ-साथ इनडोर और आउटडोर इकाइयों के बीच 1100 वी, 4सीएक्स 2.5 वर्ग मीटर एक्सएलपीई कॉपर बख्तरबंद इंटरकनेक्टिंग पावर केबल की आपूर्ति और बिछाने।	30	आरएम टी		
4	ड्रेन पाइपिंग: इन्सुलेशन, आवश्यक कोहनी, टीज़, रेड्यूसर आदि के साथ इनडोर इकाइयों के लिए इन्सुलेशन (ओईएम सिफारिश के अनुसार) के साथ 40 मिमी व्यास के सीपीवीसी ड्रेन पाइपिंग की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) और निकटतम नाली बिंदु तक कनेक्शन और इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार शामिल किया जाएगा।	25	आरएम		
5	ह्यूमिडिफायर पाइपिंग: ह्यूमिडिफायर कनेक्शन के लिए 32 मिमी / ओईएम मानक सीपीवीसी पाइप के अनुसार आपूर्ति और बिछाने से पुर्जे जैसे कोहनी, टीज़, रेड्यूसर, सॉकेट, शट ऑफ वाल्व (टैंक के पास और स्रोत पर) आदि प्रदान करते हैं, साइट की आवश्यकता के अनुसार सभी पूर्ण और बैंक के इंजीनियर द्वारा निर्देशित के अनुसार। (जीएसटी सहित, जैसा लागू हो) दर)।	10	आरएम		

क्रम सं.	मद का विवरण	मात्रा		दर (₹)	राशि (₹)
6	सर्वर रूम में उठाए गए फर्श की 595 मिमी x 595 मिमी फर्श टाइल को बदलने के लिए उपयुक्त स्पंज के साथ भारी शुल्क एल्यूमीनियम पाउडर लेपित फर्श ग्रिल की आपूर्ति और फिक्सिंग। (500 किलोग्राम तक भार का सामना कर सकता है)	2	संख्या		
7	न्यूनतम 50 मिमी x 50 मिमी x 6 मिमी कोण से बने एमएस हेवी ड्यूटी स्टैंड की आपूर्ति और फिक्सिंग, जस्ता क्रोमेट प्राइमर के एक कोट और फर्श पर आउटडोर प्रेसिजन एसी को माउंट करने के लिए सिंथेटिक तामचीनी पेंट के दो कोट के साथ।	2	सेट		
8	पावर केबल: काठी, सहायक उपकरण के साथ 1100 वी ग्रेड 4 सी एक्स 10 वर्ग मिमी तांबे के बख्तरबंद केबल की आपूर्ति और बिछाने।	15	आरएम टी		
9	केबल ग्रंथियों और लग्स के साथ 4C x 10 वर्ग मिमी तांबे के बख्तरबंद केबल की समाप्ति।	4	सेट		
ए	सकल पूंजीगत लागत (रुपये में)				
बी	पुरानी प्रणाली में छूट:-D इस्मैटिंग और बायबैक: नई प्रणाली के चालू होने के बाद पुरानी और मौजूदा प्रेसिजन एयर कंडीशनिंग इकाइयों को हटाने और हटाने के लिए छूट। दर में सभी कर शामिल होंगे।	2	सेट		
सी	निविदा की धारा II में दिए गए सीएएमसी के दायरे के अनुसार, वर्चुअल रूप से पूरा होने की तारीख से 1 वर्ष की दोष देयता अवधि पूरी होने के बाद एएमसी के पहले वर्ष के लिए प्रति 3.5 टीआर पीएसी यूनिट पर व्यापक वार्षिक अनुरक्षण प्रभार (सीएएमसी)।	2	संख्या		
डी	स्वामित्व की कुल लागत (TCO)= A-B+7.03*C				

नोट:

- ऊपर उद्धृत राशि/दरों में लोडिंग/अनलोडिंग शुल्क/शिफ्टिंग शुल्क/श्रम शुल्क, पारगमन लागत, वैधानिक कर, जैसा भी लागू हो, शामिल होना चाहिए।
- स्वामित्व की कुल लागत = कार्य की लागत (ए) - बायबैक (बी) + 7.03 * सीएएमसी की वार्षिक कुल लागत (1^{वां} वर्ष)
- स्वामित्व की कुल लागत में सबसे कम को कार्य सौंपने के लिए सफल बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाकर्ता घोषित किया जाएगा।
- मापने योग्य वस्तुओं के लिए वास्तविक माप के आधार पर बिल का भुगतान किया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

मुहर के साथ हस्ताक्षर:

(प्रतिभूति जमाराशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफॉर्मा)

(जारीकर्ता बैंक के नाम में खरीदे गए समुचित मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर में प्रस्तुत किया जाए)

सं. _____

दिनांक _____

सेवा में :

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मॉल रोड, कानपुर – 208001

प्रिय महोदय,

मैसर्स _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा गया है) द्वारा दिनांक की उनकी निविदा तथा दिनांक की आपकी संविदा में निर्धारित या संदर्भित परस्पर सहमति से तय परिवर्तनों के अधीन संविदा तथा इससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों की आपकी विशेष शर्तों के अनुसार (कार्य का नाम) के लिए आपके साथ संविदा के अनुसार तथा आपके द्वारा अपनी संविदा के संदर्भ में आपके लिए उनके द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जमा किए जाने लायक रु. (रु. मात्र) की प्रतिभूति जमाराशि को स्वीकार करने के लिए सहमत होने के मद्देनजर, हम (बैंक का नाम) इस प्रकार वचन देते हैं और सहमत हैं:

1. उक्त संविदा में उल्लिखित नियम और शर्तों में ठेकेदार की ओर से किसी उल्लंघन के कारण हुई हानि या क्षति के बदले तथा उक्त निविदा के अधीन या अन्यथा संविदा के सही इरादे और अर्थ के अनुसरण में संबंधित किसी भी नियम और शर्त का पालन करने में किसी भी कार्य को पूरा किए जाने में ठेकेदार द्वारा कोई भी चूक किए जाने पर हम आपको समय-समय पर रु. (रु. मात्र) की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं तथा ठेकेदार की ओर से उक्त चूक के कारण अपनी हानि तथा/या क्षति, लागत, प्रभार या व्यय के कारण आपके द्वारा दावा की गई अधिकतम रु. (रु. मात्र) की राशि की मांग पर तत्काल आपको भुगतान करेंगे।
2. इसके प्रतिकूल कुछ भी होने के बावजूद, आपके द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय हमारे ऊपर बाध्यकारी होगा कि ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई चूक की गई है तथा ऐसी चूक के कारण आप उक्त राशि के हकदार हैं तथा हम आपको इस गारंटी के अधीन अपना दावा साबित करने के लिए कहने के हकदार नहीं हैं बल्कि आपकी मांग पर बिना किसी विरोध या आपत्ति के तत्काल भुगतान किया जाएगा।
3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और वैध बनी रहेगी जब तक कि उक्त संविदा की संबंधित गारंटी अवधि समाप्त हो जाने के बाद तथा उक्त संविदा के अधीन ठेकेदार अपने सभी दायित्वों का निर्वहन किए जाने और उक्त संविदा के अधीन कार्य के विधिवत पूरा हो जाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद ठेकेदार के आवेदन पर इसे आपके द्वारा जारी न कर दिया जाए। इसके बावजूद यह गारंटी के बाद लागू नहीं रहेगी और इस बात के बावजूद कि आपका दावा उक्त तारीख के बाद लागू होता है, उक्त तारीख से छह महीने तक, जो तारीख हमारे विरुद्ध लागू होगी, के भीतर उत्पन्न आपके दावे या दावों या लिखित रूप में हमसे मांगे गए या हमें सूचित किए गए दावों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. किसी भी कारण से यदि इस गारंटी का विस्तार आवश्यक हुआ तो हम आपके लिए आवश्यक अवधि तक इस गारंटी का विस्तार करने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. आपके पास इस गारंटी को प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त संविदा के नियमों और शर्तों को बदलने

के लिए या ठेकेदार के कार्यनिष्पादन का समय बढ़ाने या किसी भी समय या समय-समय पर किसी भी अवधि के लिए ठेकेदार के विरुद्ध अपने अधिकारों या शक्तियों और संविदा के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या रोकथाम करने का पूर्ण अधिकार होगा और हमें पूर्वनिर्धारित मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए समय के कारण या आपके स्तर पर किसी अन्य माफ़ी, कार्य या चूक के कारण या ठेकेदार के साथ आपकी संलिप्तता के कारण या उक्त संविदा में किसी परिवर्तन या रूपांतरण के कारण या किसी कार्य, मामला या अन्य बातों के कारण जिससे जमानतदारों के लिए कानून के अधीन ऐसे प्रावधान हों जिससे हम अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हों, इसके अधीन उल्लिखित कोई भी बात हमारी उपर्युक्त देयता को रु. (रुपए) से अधिक नहीं बढ़ा सकती है।

6. यह गारंटी किसी भी प्रकार से आपकी ओर से ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से किसी भी प्रतिभूति को लेने या बदलने से या ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु, जैसा भी मामला हो, प्रभावित नहीं हो सकती है।
7. इस गारंटी को पूर्ण प्रभाव देने के लिए, इसमें कार्य करने के लिए आप इस प्रकार हकदार होंगे जैसे कि आप ठेकेदार के विरुद्ध अपने सभी दावों के संबंध में मुख्य देनदार हैं, जो हमारे द्वारा उपर्युक्त के रूप में गारंटीकृत है और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से हमारे प्रतिभूति और अन्य ऐसे सभी अधिकारों, यदि कोई हो, को त्यागते हैं जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. उपर्युक्त के रूप में हमारी देनदारी की अधिकतम सीमा के अधीन, इस गारंटी से ठेकेदार के खिलाफ समय-समय पर उक्त संविदा के संबंध में उत्पन्न होने आपके सभी दावों को तथा इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले संबंधित लिखित रूप में दावों को शामिल किया जाएगा।
9. मांग के माध्यम से या अन्यथा इसके अधीन कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे उपर्युक्त स्थानीय पते पर भेजी जा सकती है और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है, तो इसे तब ही दिया हुआ माना जाएगा, जब उसे डाक में डाला गया हो।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा (किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) इसके पहले दी गई और अब बिना रद्द की हुई अन्य गारंटी के अतिरिक्त है न कि उसे सीमित करने या घटाने वाली तथा इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी को निरस्त करना नहीं है और न ही यह उसे/उन्हें निरस्त करेगी या सीमित करेगी।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संघटन में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही आपके संघटन में किसी भी परिवर्तन या किसी एकीकरण या उसके द्वारा या उसके साथ समावेश से प्रभावित होगा तथा उक्त समाविष्ट या एकीकृत कंपनी या फर्म का लाभ सुनिश्चित करेगी और उपलब्ध रहेगी और उनके द्वारा लागू किए जाने योग्य होगी।
12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से किसी सहनशीलता, कार्य या चूक या निविदाकार के साथ बैंक की संलिप्तता से जमानतदार को मुक्त नहीं किया जाएगा तथा इस गारंटी के अधीन जमानतदार की देयता बैंक द्वारा इस संबंध में जमानतदार को दी गई सूचना पर समाप्त होगी।
13. यह गारंटी अपनी वैधता अवधि के दौरान अप्रतिसंहरणीय है और आपकी लिखित अनुमति के बिना इसे निरस्त नहीं किया जाएगा।
14. इसके अतिरिक्त, हम सहमत हैं और वचन देते हैं कि हम आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच विद्यमान या उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद के बावजूद लिखित रूप में आपके द्वारा मांग की गई राशि को बिना किसी आपत्ति के भुगतान करेंगे।
15. इसमें किसी बात के निहित होने के बावजूद गारंटी के तहत हमारी देयता रु. (रुपये मात्र) तक सीमित है। इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीनों के भीतर, जिसमें समय-विस्तार भी शामिल है, यदि कोई हो, भुगतान के लिए हमारे पास कोई लिखित दावा दर्ज नहीं किया जाता है तो इस गारंटी के अधीन आपके सभी दावे समाप्त हो जाएंगे और यह माना जाएगा कि हम इस

गारंटी के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त हो गए हैं और इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि मूल गारंटी हमें वापस की गई है या नहीं।

16. हमारे बैंक के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के तहत हमारे पास इस गारंटी को जारी करने की शक्ति है तथा अधोहस्ताक्षरी को बैंक द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(उपर्युक्त बैंक के लिए और उसकी तरफ से)

बैंक के लिए और उसकी ओर से

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

ठेकेदार के कार्यनिष्पादन के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र(केवल पात्र कार्यादेशों के लिए)

कंपनी/ फर्म/ संस्था के पत्र-शीर्ष पर

संदर्भ सं. _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मॉल रोड, कानपुर – 208001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम:

ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक प्रमाणपत्र

हम यह पुष्टि करते हैं कि मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम और पता) ने हमारे लिए निम्नलिखित कार्य किया/ किए हैं।

2. आपके अभिलेख एवं अभिलेख हेतु अन्य विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
1	संक्षिप्त विवरण के साथ पात्र कार्य का नाम	
2	कार्य आदेश सं. एवं तिथि	
3	परियोजना/ कार्य की लागत	
4	कार्य आरंभ करने की तिथि	
5	कार्य पूर्ण होने की तिथि	

क्र. सं.	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
6	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	
7	देरी के लिए लगाए गए हर्जाने का विवरण (राशि इंगित करें), यदि कोई हो	
8	पूर्ण तथा भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि	
9	क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के लिए अर्हता प्राप्त इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया है?	
10	कार्यनिष्पादन रिपोर्ट :	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक / संतोषजनक/ खराब
	(i) निष्पादित कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग अंकित करें)	
	(ii) यदि फर्म वार्षिक रखरखाव संविदा के अंतर्गत प्रणाली का रखरखाव कर रहा हो, तो एएमसी के कार्यनिष्पादन की ग्रेडिंग इंगित करें।	
11	क्या ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता की गई थी?	
	क) यदि हाँ, यो दावे की राशि	
	ख) दी गई कुल राशि	
12	मेसर्स _____ की क्षमताओं पर ग्राहक की टिप्पणियाँ (ग्रेडिंग अंकित करें): उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / ठीक / संतोषजनक/ खराब	
	(क) तकनीकी कुशलता	
	(ख) वित्तीय सुदृढ़ता	
	(ग) मानव संसाधन जुटाना	
	(घ) पर्याप्त टी&पी जुटाना	

क्र. सं.	विवरण	ग्राहक की टिप्पणियाँ
	ड) सामान्य व्यवहार	
13	आपके अनुसार कोई अन्य सूचना जो निर्णय लेने में हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकती है।	

ग्राहक के कार्यालय की सील

भवदीय,

(उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर*)

कृते एस.ई.(ई) / कार्यपालक अभियंता (ई)

नोट:

- * सरकारी/ अर्ध-सरकारी संस्था या पीएसयू के संबंध में, उत्तर देने वाला अधिकारी पर्यवेक्षक/ कार्यपालक अभियंता के रैंक का होना चाहिए।
- * निजी संस्था के संबंध में, उत्तर देने वाला महाप्रबंधक के रैंक का होना चाहिए।
- * इटैलिक में लिखी गई सामग्री को अंतिम कार्यनिष्पादन प्रमाणपत्र में प्रिंट न किया जाए।

अनुसूचित बैंक से प्राप्त बैंकर्स प्रमाणपत्र का फॉर्म

बैंक के पत्र शीर्ष पर

संदर्भ. सं. _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मॉल रोड,, कानपुर – 208001

प्रिय महोदय,
कार्य का नाम :

बैंकर्स प्रमाणपत्र

हम यह पुष्टि करते हैं कि मेसर्स _____ हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं। इन्हें रु. _____ (अनुमानित लागत) तक की किसी संविदा के लिए वित्तीय रूप से सक्षम माना जा सकता है।

2. अन्य विवरण आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की संरचना (क्या साझेदारी/ स्वामित्व/ पब्लिक लिमिटेड है)	
2	फर्म के मालिक/ पार्टनर/ निदेशकों के नाम	
3	उनके द्वारा ली गई क्रेडिट सुविधा/ ओवरड्राफ्ट सुविधा	
4	डीलिंग्स	
5	फर्म आपके बैंक के साथ कब से बैंकिंग कर रहा है	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

3. यह प्रमाणपत्र बैंक या इसके किसी अधिकारी के प्रति किसी गारंटी या ज़िम्मेदारी के बिना जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

बैंक की सील

(हस्ताक्षर)
बैंक के लिए
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नोट:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र, बैंक के पत्र शीर्ष पर भेजा जाए तथा प्राधिकारी को संबोधित एवं सीलबंद कवर में बंद होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में बैंक के रिकॉर्ड में रखे गए सभी साझेदारों के नाम शामिल किए जाएं।

करार की शर्तें (सफल निविदाकार से)

ARTICLES OF AGREEMENT (for successful bidder)

(On the Rs.100/- stamp paper)

यह समझौता अनुबंध भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) और _____ (जिसे इसके बाद "ठेकेदार" कहा जाएगा) के मध्य दिनांक _____ को निष्पादित किया गया।

ARTICLES OF AGREEMENT made the _____ day of _____ between the Reserve Bank of India, Kanpur (hereafter called "The Bank") of the one part and _____ (thereinafter called "the Contractor") of the other part.

जहां बैंक वांछित है, (_____) और किए गए कार्य का विशिष्ट वर्णन करें।

WHEREAS The Bank is desirous of (_____) and has caused specifications describing the works to be done.

और उक्त विशिष्टताओं के अनुसार, मात्रा और रेखाचित्रों की अनुसूची पर या पार्टियों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

AND WHEREAS the said specifications, the Schedule of Quantities and drawings have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और ठेकेदार ने इसके आगे उल्लिखित शर्तों तथा परिणाम की अनुसूची तथा ठेके की शर्तें (जिन्हे इसके आगे समग्र रूप से "उक्त शर्तें" कहा गया है) के अधीन उक्त आरेखनों में दर्शाये गए और/या उक्त विनिर्देशों में वर्णित तथा परिणाम की अनुसूची में सम्मिलित निर्माण कार्य को उनमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार हिसाब लगाई गयी कुल राशि पर या ऐसी अन्य राशि पर, जो उनके अधीन देय हो (जिसे इसके आगे "उक्त ठेके की राशि" कहा गया है) निष्पादित करना स्वीकार किया है।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject to the Conditions set forth herein and to the Conditions set forth in the Special Conditions and in the Schedule of Quantities and Conditions of Contract (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said specification and included in the Schedule of Quantities at the respective rates therein set forth amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable thereunder (hereinafter referred to as 'the said Contract Amount')

अब इस बात पर निम्न तरह से सहमति है:

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

- 1 उक्त शर्तों में निर्दिष्ट अवधियों में और प्रणाली से देय ठेके की राशि के बदले ठेकेदार उक्त शर्तों पर तथा उनके अधीन और उक्त आरेखों में दर्शित तथा उक्त विनिर्देशों एवं परिमाणों की अनुसूची में उल्लिखित निर्माण कार्य निष्पादित करेगा और पूरा करेगा

In consideration of said Contract Amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall upon and subject to the said Conditions execute and complete the work shown upon the said Drawings and described in the said Drawings and described in the said Specifications and the Schedule of Quantities.

- 2 बैंक ठेकेदार को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट अवधियों में तथा उनमें निर्दिष्ट प्रणाली से उक्त ठेके की राशि या ऐसी कोई अन्य राशि, जो देय हो जाए, अदा करेगा।

The Bank shall pay the Contractor the said Contract Amount, or such other sum as shall become payable, at the times and in the manner specified in the said conditions.

- 3 उक्त शर्तों को और उनके परिशिष्ट को इस करार के भाग के साथ पढ़ा जाएगा तथा इस करार से संबंधित पक्ष उक्त शर्तों का क्रमशः पालन करेंगे, अपने-आपको उनके अधीन मानेंगे तथा उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन अपनी और से करार का निष्पादन करेंगे।

The said Conditions and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

- 4 इसमें उल्लिखित नक्शे, करार और प्रलेख इस संविदा के आधार माने जायेंगे।

The plans, agreement and documents mentioned herein shall form the basis of this Contract.

- 5 यह संविदा न तो निर्धारित एकमुश्त राशि की संविदा है और न ही फूटकर कार्य की संविदा, परंतु यह सम्पूर्ण " _____ " के संबंध में कार्य को पूरा करने की संविदा है जिसके लिए दरों की अनुसूची तथा संभाव्य परिमाणों में उल्लिखित दरों पर या उक्त शर्तों में निर्दिष्ट दरों पर वस्तुतः हिसाब लगायी गयी मात्राओं के अनुसार अदायगी की जाएगी। कार्य आदेश संख्या _____ इस समझौते का हिस्सा होगा।

This Contract is neither a fixed/ Lump sum Contract nor a Piece work Contract but is a Contract to carry out the "____(Name of work)_____" to be paid for according to actual measured quantities at the rates contained in the Schedule of Rates and Probable quantities or as provided in the said

Conditions. Work order No_____ shall form part of this agreement.

- 6 अनुबंध में दिये अनुसार ठेकेदार को सिविल संबंधी सभी कार्यों हेतु वाजिब सुविधा वहन करनी होगी एवं ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये नुकसान को ठीक करना होगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for the carrying out of all works relating to civil works and other ancillary works in the manner laid down in the said Conditions, and shall make good any damages done to walls, floors etc. after the completion of such works.

- 7 बैंक इस अनुबंध में बिना किसी पूर्वाग्रह के किए जानेवाले कार्य में किसी भी मद को जोड़ने या हटाने एवं ड्रॉइंग और कार्य की प्रकृति को बदलने का अधिकार रखता है।

The Bank reserves to itself the right of altering the Drawings and nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out without prejudice to this contract.

- 8 समय को इस अनुबंध के महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाएगा, और ठेकेदार साइट को सौंपने के तुरंत बाद या औपचारिक कार्य आदेश जारी होने के 14 दिनों के बाद जो भी बाद में हो दी गई शर्तों एवं समय विस्तार के प्रावधानों के अनुसार दी गई शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करेगा तथापि समय विस्तार के प्रावधान ऐसे लिखित तरीके (अर्थात् विलेख या करार या पत्रों/ ई-मेल के आदान-प्रदान) के अधीन होंगे जिन पर दोनों पक्षों परस्पर सहमत हों।

Time shall be considered as one of the important factor of this Contract, and the Contractor hereby agrees to commence the work soon after the site is handed over to him or from 14th day after the day of issue of formal works order as provided for in the said Conditions, whichever is later, and to complete the entire work as provided in said condition, subject nevertheless to the provisions for extension of time in writing by such form (i.e by way of a deed of agreement or by exchange of letters/emails) as may be mutually decided by the parties..

- 9 इस अनुबंध के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल कानपुर में किए जाएंगे।
All payments by The Bank under this Contract will be made only at Kanpur.

- 10 इस समझौते से जुड़े या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कानपुर में उत्पन्न माना जाएगा और इनका निपटान केवल कानपुर में न्यायालयों के ही अधिकार क्षेत्र में होगा।
All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Kanpur and only Courts in Kanpur shall have jurisdiction to determine the same.

- 11 इस संविदा के विभिन्न अंशों को ठेकेदार ने पढ़ लिया है तथा उन्हें पूर्ण रूप से समझ लिया है।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

12

गैर-प्रकटीकरण खंड : ठेकेदार बैंक ,के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का किसी तीसरे पक्ष को खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान के पास आ सकता है, और हर समय इस पर विश्वास रखेगा। ठेकेदार सिवाय इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा के अलावा अनुबंध के विवरण को वैयक्त और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण का खुलासा, प्रकाशित होने की अनुमति नहीं देगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचारों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के मध्य सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय सूचनाओं का प्रकटीकरण न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हों। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या इस समझौते के टर्मिनेशन के बाद भी बने रहेंगे।

Non-Disclosure clause: The Contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the Contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The Contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The Contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The Contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the Contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The Contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The Contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive even after the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी उपबंध/ Prevention of Sexual harassment clause

ठेकेदार/एजेंसी कार्य स्थल) रोकथाम, निषेध और निवारण (अधिनियम 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी गंभीर कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है, तो ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में कर्मचारी शामिल होने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। ठेकेदार अपने कर्मचारी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दे के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

he contractor/Agency shall be solely responsible for full compliance with the provision of "the sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013". In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of Bank, complaint will be filed before the Internal complaint committee constituted by the Contractor/Agency and the Contractor/Agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint. Any complaint of sexual harassment from any aggravated employee of the contractor against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank. The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved. The contractor shall be responsible for educating its employee about prevention of sexual harassment at work place and related issue.

14.

अप्रत्याशित घटना: यदि कोई भी पक्ष अपने नियंत्रण से परे किसी घटना के घटित होने के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ है (जैसे कि ईश्वर के कार्य, युद्ध जैसी स्थितियाँ, दंगे, श्रमिक हड़ताल, सरकारी कार्य, भूकंप, चक्रवात, आंधी, और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, आदि), उस पक्ष को इस अनुबंध के अंतर्गत चूककर्ता नहीं माना जाएगा। प्रत्येक पक्ष जारी रखने के लिए इस समझौते के तहत प्रदर्शन को सक्षम करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत है। यदि अप्रत्याशित घटना के कारण गैर-प्रदर्शन की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो जिस पार्टी की प्रदर्शन करने की क्षमता इतनी प्रभावित नहीं हुई है, वह लिखित नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त कर सकती है।

Force Majeure: If either party is unable to perform its obligations under this Agreement due to the occurrence of an event beyond its control (such as acts

of God, war like situations, riots, labour strike, government actions, earthquakes, cyclones, typhoons, and other natural calamities, etc.), that party will not be deemed to have defaulted under this Agreement. Each party agrees to use all reasonable efforts to enable performance under this Agreement to continue. If the period of non-performance due to a force majeure event exceeds 30 days, the party whose ability to perform has not been so affected may, by giving written notice, terminate this Agreement

यदि ठेकेदार
एक भागीदारी या
एक व्यक्ति है If
the contractor
is a Partnership
or an Individual

इसके साक्ष्य में बैंक तथा ठेकेदार ने इन दस्तावेज़ों तथा मूल प्रति पर इसके ऊपर उल्लेखित दिन और वर्ष में हस्ताक्षर किए हैं।

IN WITNESS WHEREOF The Bank and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

यदि ठेकेदार एक
कंपनी है If the
contractor is a
Company

इसके साक्ष्य में बैंक ने अपने विधिवत प्राधिकृत किये हैं और ठेकेदार ने इन पर तथा उक्त दोनों प्रतिलिपियों पर अपनी नियमित मोहर लगवाई है/इसके पहले उक्त दिनांक और वर्ष को अपनी ओर से इन दस्तावेज़ों तथा उक्त दो प्रतिलिपियों का निष्पादन करवाया है।

IN WITNESS WHEREOF The Bank has set its hand to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicate/has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड Signature Clause

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निम्न द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द
SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of
श्री/ Shri

(नाम और पदनाम/ name and designation)

.....

..... की उपस्थिति में/ in the presence of

(1)

पता/ Address

(2)

पता/ Address

.....
.....
.....

साक्ष्य/ Witnesses

निम्न द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द / SIGNED यदि यह एक साझेदारी फर्म है या कोई व्यक्ति है, तो उस पर
AND DELIVERED BY सभी द्वारा या साझेदारों की ओर से हस्ताक्षर किया जाए

.....

(1)

If the part is a partnership firm or any individual should be signed by all or on behalf of all the partners.

पता/Address

.....

2)

पता/ Address

.....

साक्ष्य/Witnesses

निदेशक मंडल द्वारा _____
को आयोजित बैठक में

यदि ठेकेदार अपनी कॉमन मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है तो उसे करार की शर्तों में उनके सीलबंद खंड से मेल खाना चाहिए

पारित किए गए संकल्प के आधार पर कंपनी की
कॉमन मुहर यहाँ लगाई गई

If the Contractor signs under its common Seal the signature clause should tally with their sealing clause in the Articles of Associations.

THE COMMON SEAL OF

Was hereunto affixed pursuant to the resolutions passed

By its Board of Directors at the meeting held on

.....
.....
.....

की उपस्थिति में/ In the presence of

ठेकेदार, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा हस्ताक्षर कर रहा है, चाहे वह एक कंपनी हो या व्यक्ति

(1)

The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.

.....

(2)

ठेकेदार, पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा हस्ताक्षर कर रहा है, चाहे वह एक कंपनी हो या व्यक्ति

जिन निदेशकों ने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्होंने इसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं

The Contractor is signing by the hand of power of attorney whether a company or individual.

Directors who have signed these presents in taken thereof in the presence of

(1)

(2)

ठेकेदार द्वारा

श्री और विधिवत गठित अटॉर्नी

के द्वारा हस्ताक्षर और सुपुर्दगी

SIGNED AND DELIVERED BY the Contractor by the hand Of

Shri

and duly constituted attorney.

आवेदन/ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए मुख्तारनामे का प्रारूप

(समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर)

इन दस्तावेजों द्वारा सभी लोगों को जानते हुए, हम

(बोलीदाता का नाम और

उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद द्वारा श्री / सुश्री
(मुख्तारनामे के धारक का नाम और आवासीय पता) भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के निविदा के संबंध में सभी ऐसे कार्य, विलेख और अन्य बातों के लिए, जिनमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और उन्हें प्रस्तुत करना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को जानकारी उपलब्ध कराना/ जवाब देना, सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करना और उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कार्य करने के लिए अपने अटार्नी के रूप में गठित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ के रूप में कार्यरत हैं।

हम एतद द्वारा इस बात से सहमत हैं कि हम अपने उक्त मुख्तारनामे के फलस्वरूप हमारे अटार्नी द्वारा कानूनी ढंग से किए गए सभी कार्यों तथा विलेखों की पुष्टि करेंगे तथा हमारे उक्त अटार्नी द्वारा किए गए सभी कार्यों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

नोट

मुख्तारनामे पर उचित स्टॉप लगाया जाए और नोटरी से हस्ताक्षर कराया जाए।

प्रस्तुत मुख्तारनामा अप्रतिसंहरणीय होगा।

बोलीदाता का हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की मुहर/ सील बोलीदाता का / के हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की मुहर/ सील

(टिप्पणी : इस गारंटी पर राज्य में लागू स्टैप शुल्क लगेगा जहाँ यह गारंटी निष्पादित की जा रही है तथा उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी जिसके हस्ताक्षर एवं प्राधिकार सत्यापित किए जाएंगे।

सार्वजनिक संस्थान (संस्थानों) द्वारा निषेध की घोषणा के संबंध में वचनपत्र, जिसे निविदा में शामिल किया जाए

(निविदाकर द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

कार्य का नाम:

1. मैं/हम (बोलीदाता का नाम) घोषित करता है कि -

मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म * भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्टेड नहीं है/नहीं हैं।

क) मैंने/हमने या हमारी किसी भी संबद्ध फर्म ने पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के साथ सत्यनिष्ठा की संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लेख किया गया है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है। _____ (बोली जमा करने की अंतिम तिथि)।

ख) यदि, मैं/हम या हमारी किसी संबद्ध फर्म* को भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्थान/इकाई द्वारा अधिरोपित कार्य के लिए कार्य सौंपे जाने पर या उससे पहले वंचित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो हम बैंक को लिखित में सूचित करेंगे।

ग) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म * सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश 2017 के उल्लंघन के लिए (बोली जमा करने की अंतिम तिथि) की स्थिति के अनुसार, किसी भी खरीद इकाई द्वारा वर्जित नहीं है।

2. मैं/हम-(बोलीदाता का नाम) घोषित करते हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म * - (संबद्ध फर्म (फर्मों) का नाम, जिसे _____ द्वारा _____ (भारत या किसी अन्य देश के सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया गया है और यह _____ (दिनांक) तक प्रभावी है। ऐसे पत्र की एक प्रति आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोलीदाता की सील और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(नोट: दोनों में से जो घोषणा लागू न हो, उसे काट दें)

* सहयोगी फर्म: किसी फर्म को "सहयोगी फर्म" तब कहा जाएगा, यदि प्रबंधन समान है, या पर्याप्त या बहुमत शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इसके आधार पर नियंत्रण प्राप्त है। इसके अलावा सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी सहयोगी फर्म माना जाएगा।

भवदीय

नाम और हस्ताक्षर

पदनाम

फर्म की मुहर

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनपत्र/ घोषणा/ प्रमाणपत्र का प्रोफॉर्म

(बोलीदाताओं द्वारा उनके पत्र-शीर्ष पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं विधिवत सील के साथ)

सेवा में,

.....

भारतीय रिज़र्व बैंक

.....

कार्य का नाम : _____

1. मैं/हम (बोलीदाता के स्थान के देश सहित नाम और पता) कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 और इसके बाद के आदेशों/संशोधन को पढ़ और समझ लिया है। सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध लगाता है।
2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)
 - i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण संवितरण की सीमा बढ़ाई है, या iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। (उपर्युक्त में से जो भी लागू नहीं है, उसे काट दें)।
3. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और कार्यालय ज्ञापन के उपर्युक्त प्रावधान और उसके बाद के आदेश/संशोधन के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचनबद्ध हैं कि उन अनुबंधों के मामले में जहां हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-अनुबंधित करने की अनुमति दी जाती है, मैं/हम (बोली लगाने वाले का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश (देशों) से किसी ठेकेदार को कोई भी काम उप-अनुबंधित नहीं करेंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है।
4. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन/घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा राशि/कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी/प्रतिभूति जमाराशि जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से वंचित करना शामिल है।

रबर स्टॉप के साथ बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

विनिर्माता द्वारा बिक्री के उपरान्त निर्बाध सेवा प्रदान करने के दायित्व के लिए प्राधिकरण पत्र और पुष्टिकरण का प्रोफार्मा

(यह निर्माताओं/प्रिंसीपल एयर कंडीशनर के ओईएम द्वारा अलग से उनके पत्रशीर्ष पर जारी किया जाएगा और बोलीदाता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा)

सेवा में,

दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मॉल रोड, कानपुर – 208001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम : भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के मुख्य कार्यालय भवन के सर्वर रूम में प्रिंसीपल एसी यूनिट्स की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा

हम _____, (विनिर्माता का नाम और पता), जो _____ के विनिर्माता हैं और जिनके कारखाने _____ (विनिर्माण/विकास स्थानों के पते) में स्थित हैं, हम _____ (निविदाकर्ता का नाम और पता) को हमारे द्वारा विकसित उपर्युक्त उपकरणों के लिए उक्त निविदा के प्रति बोली लगाने, बातचीत करने और आपके साथ अनुबंध करने के लिए अधिकृत करते हैं।

इसके अलावा, हम _____ निम्नलिखित सेवाओं सहित लेकिन इस तक सीमित नहीं, निरंतर बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने का वचन देते हैं:

- i) तकनीकी बोली में अन्यत्र इंगित किए गए अनुसार 10 वर्षों की निर्धारित अवधि के दौरान स्पेयर पार्ट्स की निर्बाध आपूर्ति की गारंटी देने के लिए।
- ii) दोष देयता अवधि के दौरान और बाद में जब भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बुलाया जाए, किसी भी भाग या प्रणाली की विफलता/खराबी की जांच में भारतीय रिज़र्व बैंक की सहायता करने के लिए।
- iii) हम अनुमानित लागत के साथ प्रस्ताव देंगे, सुरक्षा सुविधाओं में संशोधन/उन्नयन, डिजाइन संशोधन/सुधार जो अनुबंध पूरा होने के बाद प्रिंसीपल एसी इकाइयों में शामिल किए जाएंगे और प्रिंसीपल एसी इकाइयों के कार्य-निष्पादन, विश्वसनीयता/अवधि को बढ़ाने के लिए इसे लागू करने के लिए एक समय-सारणी का सुझाव देंगे।
- iv) हम उपरोक्त सेवाएं प्रदान करने और आरबीआई द्वारा अधिसूचित उचित समय में आरबीआई के प्रश्नों/अनुरोधों का जवाब देने का वचन देते हैं।

v) उपरोक्त उपक्रम के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप आरबीआई द्वारा उचित समझे जाने वाले नीचे उल्लिखित सभी या कोई भी कार्रवाई की जाएगी।

क) फर्म के कार्यनिष्पादन को रिकॉर्ड पर रखने के लिए या तो आरबीआई की वेबसाइट या अन्य प्रकाशनों में।

ख) विनियामक प्राधिकरणों/निकायों या अन्य बैंकों को सूचना।

ग) आरबीआई में आगे की निविदा प्रक्रिया में फर्म की भागीदारी को प्रतिबंधित करें।

भवदीय,

मेसर्स _____ (विनिर्माता का नाम)

के लिए और उनकी ओर से

सील और हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

पता:

नोट: पत्र की विषयवस्तु को संशोधित न किया जाए। यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्र की विषयवस्तु में कुछ जोड़ा या हटाया या संशोधन किया जाता है, तो निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

निविदाकार द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचनपत्र का प्रोफॉर्म

(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)

सेवा में,

दिनांक :

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मॉल रोड, कानपुर – 208001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के मुख्य कार्यालय भवन के सर्वर रूम में प्रिंसीजन एसी यूनिट्स की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा

हम आपके उक्त परिसर के सर्वर कक्षों में हमारे द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रिंसीजन एसी यूनिट्स को संतोषजनक रूप से बनाए रखने का वचन देते हैं, जो सभी समावेशी वार्षिक रखरखाव संविदा और संविदा शर्तों के अनुसार नियमों और शर्तों के लिए उद्धृत दरों पर दोष देयता/वारंटी अवधि की समाप्ति के बाद 09 वर्ष से कम की अवधि के लिए, केवल निविदा दस्तावेज में प्रदान किए गए प्रासंगिक आरबीआई सूचकांक-आधारित सूत्र के आधार पर मूल्य संशोधन के अधीन है।

हम तकनीकी कारण या किसी भी अन्य कारण से स्पेयर आदि के संदर्भ में सहयोग प्रदान करने में विफल नहीं होंगे। हम उपर्युक्त के रूप में स्वीकार की गई अवधि के लिए सभी-समावेशी रखरखाव अनुबंध के लिए हमारे द्वारा उद्धृत दर के भीतर, आपकी संतुष्टि के लिए सभी-समावेशी सेवा प्रदान करना जारी रखेंगे।

भवदीय,

कृते _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुबंध 'ज'

संविदा श्रम के नियमों/ विनियमों के गैर-अनुपालन के प्रति नियोक्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रोफॉर्म

(सफल बोलीदाता द्वारा समुचित मूल्य के नॉन-ज्युडिशियल स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

दिनांक :

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मॉल रोड, कानपुर – 208001

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम : भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर के मुख्य कार्यालय भवन के सर्वर रूम में प्रिंसीजन एसी यूनिट्स की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा

हम, मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम), एतद्वारा वचन देते हैं कि हम संविदा श्रम के रोजगार और उनके भुगतान के संबंध में सभी सांविधिक नियमों/विनियमों का अनुपालन करेंगे। हम संविदा श्रम को किए जाने वाले भुगतान और इस संबंध में कानूनों के पालन के लिए नियोक्ता, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे और क्षतिपूर्ति के लिए हमारे उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के हमारे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे।

भवदीय,

मेसर्स _____ (विनिर्माता का नाम)
के लिए और उनकी ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-

ठेकेदार का नाम और पता :

ठेकेदार का हस्ताक्षर और सील :

दिनांक :

स्थान :

स्थानीय कंटेनर के लिए घोषणा

(10 करोड़ रुपये से कम के निविदा मूल्य के लिए कंपनी के पत्र शीर्ष पर और 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निविदा मूल्य के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक/लागत लेखा परीक्षक/लागत लेखाकार/सीए द्वारा दिया जाना है)

दिनांक : _____

जिससे भी संबंधित हो

विषय: स्थानीय कंटेनर की घोषणा

निविदा संदर्भ सं. : _____

निविदा/ कार्य का नाम : _____

1. प्रस्तावित वस्तुओं के उद्गम का स्थल/ देश: _____

2. हम यह घोषित करते हैं कि प्रस्तावित वस्तुओं में _____% स्थानीय कंटेनर है, जो _____ (श्रेणी I स्थानीय/ श्रेणी II स्थानीय/ गैर-स्थानीय) स्थानीय कंटेनर आपूर्तिकर्ता के रूप में उन्हें पात्र सिद्ध करता है।

3. स्थान का विवरण, जहां स्थानीय मूल्य संवर्धन किया जाएगा/ किया गया है (पूरा पता दिया जाए):

"स्थानीय कंटेनर" का अर्थ है भारत में मूल्य वर्धन की राशि, प्रस्तुत की जा रही वस्तु के कुल मूल्य में से कुल मूल्य के अनुपात में वस्तु में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी सीमा शुल्क सहित) घटाकर होगी, जो प्रतिशत में होगी।

"असत्य घोषणा, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 175(1)(i)(h) के अंतर्गत सत्यनिष्ठा की संहिता के उल्लंघन के रूप में मानी जाएगी, जिसके लिए एक बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151 (iii) के तहत दो साल तक के लिए रोक लगाया जा सकता है और साथ ही कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।"

भवदीय,

{बोलीदाता का हस्ताक्षर, आधिकारिक सील के साथ}



भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, कानपुर

आरबीआई, कानपुर के मुख्य कार्यालय भवन के सर्वर रूम में प्रिंसीजन एसी यूनिट्स की आपूर्ति, इंस्टालेशन, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी)

के लिए

ई-निविदा

भाग II (कीमत बोली)

निविदाकार का नाम _____

पता _____

निविदा जमा करने की निर्धारित तिथि : _____ को _____ तक

निविदा का भाग I खोले जाने की निर्धारित तिथि : _____ को _____ तक

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, कानपुर

क्र. सं.	मद का विवरण	मात्रा		दर(₹)	राशि (₹)
1	न्यूनतम 3.5 टीआर प्रिसिजन एयर कंडीशनर आदि की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) (मुख्य और स्टैंडबाय में कनेक्ट किया जाना है) माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोलर, वेरिबल स्पीड इन्वर्टर/डिजिटल स्कॉल कंप्रेसर, डीएक्स इवेपोरेटर, मोटर के साथ डायरेक्ट ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिकली कम्प्यूटेड (ईसी) पंखा, बॉटम डिस्चार्ज, इको-फ्रेंडली आर410 ए ग्रीन रेफ्रिजरेंट की प्रारंभिक चार्जिंग के साथ, जो 1+1 रिडंडेंट मोड (एक कार्य और एक स्टैंडबाय) में चौबीसों घंटे संचालन करने में सक्षम है और 45 डिग्री सेल्सियस तक के परिवेश के तापमान पर 20 +/- 1 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50+/-5% सापेक्ष आर्द्रता की अपेक्षित इनडोर स्थिति प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।	2	सं.		
2	तांबे की पाइपिंग: आवश्यक सहायक उपकरणों के साथ इनडोर और आउटडोर इकाइयों के बीच इंटरकनेक्टिंग और उपयुक्त आकार (ओईएम मानकों के अनुसार) का 9 मिमी नाइट्राइल रबर इंसुलेटेड (यदि लागू हो तो ओईएम दिशानिर्देशों के अनुसार) तांबे की रेफ्रिजरेंट पाइपिंग (तरल और गैस, डिस्चार्ज और सक्शन सहित) की आपूर्ति और बिछाना, और मौजूदा स्टैंड आदि पर लगाए जाने वाले सपोर्ट (नोट: सक्शन और डिस्चार्ज पाइप को एक साथ एक लंबाई के रूप में मापा जाएगा)।	30	आरएम टी		
3	कंट्रोल केबल: 1100 वी, 4 X 2.5 वर्ग मिमी एक्सएलपीई कॉपर आर्मर्ड, इनडोर और आउटडोर इकाइयों के बीच इंटरकनेक्टिंग पावर केबल, जिसके साथ लग्स और ग्लैंड्स के साथ उपयुक्त टर्मिनेशन शामिल हैं।	30	आरएम टी		

क्र. सं.	मद का विवरण	मात्रा		दर(₹)	राशि (₹)
4	ड्रेन पाइपिंग: इन्सुलेशन के साथ पूर्ण इनडोर इकाइयों के लिए 40 मिमी व्यास के सीपीडब्ल्यूसी ड्रेन पाइपिंग की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (एसआईटीसी) इन्सुलेशन (ओईएम सिफारिश के अनुसार), आवश्यक एल्बो, टी, रिड्यूसर आदि के साथ और निकटतम ड्रेन बिंदु तक कनेक्शन, ये सभी इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार शामिल किए जाएंगे।	25	आरएम		
5	ह्यूमिडिफायर पाइपिंग: साइट की आवश्यकतानुसार सभी पूर्ण और बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पुनः कनेक्शन के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स जैसे एल्बो, टी, रिड्यूसर, सॉकेट, शट ऑफ वाल्व (टैंक के पास और स्रोत पर) आदि प्रदान करने के लिए ओईएम मानक के अनुसार 32 मिमी सीपीवीसी पाइप की आपूर्ति और बिछाना। (जीएसटी सहित दर, जैसा भी लागू हो)।	10	आरएम		
6	सर्वर कक्ष में 595 मिमी x 595 मिमी की उठी हुई फ्लोरिंग की टाइल को बदलने के लिए उपयुक्त डैम्पर के साथ हेवी ड्यूटी एल्यूमीनियम पाउडर कोटेड फ्लोर ग्रिल की आपूर्ति और फिक्सिंग। (500 किलोग्राम तक भार सहन कर सकता है)	2	सं.		
7	न्यूनतम 50 मिमी x 50 मिमी x 6 मिमी ऐंगल से बने एमएस हेवी ड्यूटी स्टैंड की आपूर्ति और फिक्सिंग, फर्श पर आउटडोर प्रिसिजन एसी को माउंट करने के लिए जिंक क्रोमेट प्राइमर का एक कोट और सिंथेटिक एनामल पेंट के दो कोट।	2	सेट		
8	पावर केबल : सैडल्स, एक्सेसरी के साथ 1100 V ग्रेड 4C x 10 वर्ग मीटर कॉपर आर्मर्ड केबल की आपूर्ति और बिछाना	15	Rmt		
9	केबल ग्लैंड्स और लग्स के साथ 4C x 10 वर्ग मीटर तांबे से कवर किए गए केबल का टर्मिनेशन	4	सेट		

क्र. सं.	मद का विवरण	मात्रा		दर(₹)	राशि (₹)
क	सकल पूंजीगत लागत (रु. में)				
ख	छूट:- पुराने सिस्टम की डिस्मैटलिंग और वापसी-खरीद: नए सिस्टम के शुरू होने के बाद पुराने और वर्तमान प्रिंसिपल एयर कंडीशनिंग यूनिट्स को जैसा है, जहां है के आधार पर डिस्मैटल करने और हटाने के लिए छूट। दर सभी करों सहित होगी।	2	सेट		
ग	सीएएमसी के खंड II में दिए गए दायरे के अनुसार, आभासी पूर्णता की तारीख से दोष देयता अवधि के 1 वर्ष पूरा होने के बाद एएमसी के पहले वर्ष के लिए प्रति 3.5 टीआर पीएसी इकाई के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव शुल्क (सीएएमसी)।	2	सं.		
घ	स्वामित्व की कुल लागत (टीसीओ) = ए-बी + 7.03 * सी				

नोट :

- उक्त उद्धृत राशि में बैंक में निर्दिष्ट स्थान पर लोडिंग/अनलोडिंग शुल्क/स्थानांतरण शुल्क, पारगमन लागत, सांविधिक कर आदि, यथालागू शामिल होने चाहिए।
- स्वामित्व की कुल लागत = कार्य की लागत – वापसी खरीद + 7.03 (एक वर्ष की एएमसी लागत)
- सबसे कम स्वामित्व की कुल लागत का प्रस्ताव देने वाले को कार्य के लिए सफल बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाकार घोषित किया जाएगा।
- मापने योग्य वस्तुओं के लिए बिल का भुगतान वास्तविक माप के आधार पर किया जाएगा।

स्थान

तिथि

सील के साथ हस्ताक्षर

टिप्पणी – कीमत ऑनलाइन मोड में केवल सीपीपीपी पोर्टल पर ही उद्धृत किया जाए।

बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे कार्यस्थल का दौरा करें और दर उद्धृत करने से पहले कार्यस्थल की परिस्थितियों से परिचित हो जाएं।

निविदा का मूल्यांकन निविदा भाग-I पैरा 3.22 के अनुसार कुल स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाएगा।